पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–19] रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 सितम्बर, 2018 ई0 (आश्विन 07, 1940 शक सम्वत्) [संख्या–39

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	501–518	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	667–675	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	215–235	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

श्रम अनुभाग

नियुक्ति/तैनाती

21 अगस्त, 2018 ई0

संख्या 1091/VIII/18–19(ई0एस0आई0)/2018–उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत वेतनबैण्ड–3, सादृश्य वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400/–(सातवें वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500, लेवल–10) में चिकित्साधिकारी (एलोपैथिक) के पद हेतु संस्तुत, डॉ0 नेहा प्रिया को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चिकित्साधिकारी, एलोपैथिक के पद पर अस्थाई रूप से निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त कर, निम्न तालिका के कॉलम–6 में अंकित स्थान पर तैनात किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	चयनित चिकित्साधिकारी का नाम	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थान
1	2	3	4	5	6
1.	डॉ0 नेहा प्रिया पुत्री श्री दिनेश प्रसाद श्रीवास्तव	देहरादून	354–सी0 सन्तोषी माता गली, गढ़ी केन्ट, देहरादून, उत्तराखण्ड–248003	354–सी0 सन्तोषी माता गली, गढ़ी केन्ट, देहरादून, उत्तराखण्ड–248003	क0रा0बी0औ0, कोटद्वार

(1) यदि डॉ0 नेहा प्रिया के चरित्र सत्यापन एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् चरित्र एवं पूर्ववृत्त सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति/सेवा उत्तराखण्ड अस्थाई सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 2003 के प्राविधानों के अनुसार निरस्त/समाप्त कर दी जायेगी।

(2) संबंधित अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट एवं अन्य जाति प्रमाण–पत्र अथवा स्थाई निवास प्रमाण–पत्र के सत्यापनोपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है, तो उनका नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जायेगी और इस संबंध में उनका कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

(3) सम्बन्धित अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण, मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा और उक्त बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराने दिया जायेगा। अभ्यर्थी अपने नियुक्ति–पत्र सहित अपनी तैनाती के अपर मण्डलीय निदेशक से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। अपर मण्डलीय निदेशक द्वारा मण्डलीय मेडिकल बोर्ड से वांछित परीक्षण कराकर, अभ्यर्थी का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र संबंधित अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थी का प्रकरण राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को संदर्भित किया जायेगा।

(4) नियुक्त किए जा रहे चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ते तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे। उत्तराखण्ड सरकार, चिकित्सक (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर उत्तर प्रदेश निर्बन्धन नियमावली, 1983 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अन्तर्गत प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित अभ्यर्थी को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे यथास्थिति राज्य सरकार के नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है।

(6) सम्बन्धित नवनियुक्त अभ्यर्थी 01 माह के अन्दर अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। इस अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती हेतु निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर (8) में अंकित सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे इस अवधि के भीतर अपनी तैनाती हेतु निदेशक को अपनी योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(7) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(8) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे:–

(I) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के संबंध में एक घोषणा–पत्र।

(II) उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल द्वारा किए गए स्थाई रजिस्ट्रेशन की दो प्रतियाँ।

(III) ओथ एलिजियन्स का प्रमाण–पत्र।

(IV) सीक्रेट एक्ट की जानकारी होने का प्रमाण–पत्र।

(V) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र।

(VI) लिखित रूप से एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके लिए वह किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(VII) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा–पत्र।

(VIII) गढ़वाल/कुमायूँ के मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

(IX) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थाई निवासी एवं जाति से संबंधित प्रमाण–पत्रों की एक–एक प्रमाणित प्रतियाँ एवं उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण–पत्र।

(X) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र, जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी या रिश्तेदार न हों।

(XI) केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन की गई सेवाओं का अद्यतन घोषणा–पत्र।

2. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत तैनात किए जा रहे अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त योग्यता वरिष्ठता क्रम के आधार पर, इस संबंध में प्रभावी नियमों के आधार पर अवधारित की जायेगी।

नियुक्ति/तैनाती

21 अगस्त, 2018 ई0

संख्या 1092/VIII/18–21(ई0एस0आई0)/2018–उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत वेतनबैण्ड–3, सादृश्य वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400/–(सातवें वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500, लेवल–10) में चिकित्साधिकारी (एलोपैथिक) के पद हेतु संस्तुत, डॉ0 सुनोध कुमार गौतम को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चिकित्साधिकारी, एलोपैथिक के पद पर अस्थाई रूप से निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त कर, अग्रसारित तालिका के कॉलम–6 में अंकित स्थान पर तैनात किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	चयनित चिकित्साधिकारी का नाम	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थान
1	2	3	4	5	6
1.	डॉ0 सुनोध कुमार गौतम पुत्र श्री सोहनवीर सिंह	हरिद्वार	पुत्र श्री सोहनवीर सिंह, भगवानपुर, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड–247661	पुत्र श्री सोहनवीर सिंह, भगवानपुर, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड–247661	क0रा0बी0औ0, सैलाकुई

(1) यदि डॉ0 सुनोध कुमार गौतम के चरित्र सत्यापन एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् चरित्र एवं पूर्ववृत्त सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति/सेवा उत्तराखण्ड अस्थाई सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 2003 के प्राविधानों के अनुसार निरस्त/समाप्त कर दी जायेगी।

(2) संबंधित अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट एवं अन्य जाति प्रमाण–पत्र अथवा स्थाई निवास प्रमाण–पत्र के सत्यापनोपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है, तो उनका नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जायेगी और इस संबंध में उनका कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

(3) सम्बन्धित अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण, मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा और उक्त बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराने दिया जायेगा। अभ्यर्थी अपने नियुक्ति–पत्र सहित अपनी तैनाती के अपर मण्डलीय निदेशक से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। अपर मण्डलीय निदेशक द्वारा मण्डलीय मेडिकल बोर्ड से वांछित परीक्षण कराकर, अभ्यर्थी का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र संबंधित अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थी का प्रकरण राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को संदर्भित किया जायेगा।

(4) नियुक्त किए जा रहे चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ते तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे। उत्तराखण्ड सरकार, चिकित्सक (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर उत्तर प्रदेश निर्बन्धन नियमावली, 1983 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अन्तर्गत प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित अभ्यर्थी को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे यथास्थिति राज्य सरकार के नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है।

(6) सम्बन्धित नवनियुक्त अभ्यर्थी 01 माह के अन्दर अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। इस अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती हेतु निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर (8) में अंकित सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे इस अवधि के भीतर अपनी तैनाती हेतु निदेशक को अपनी योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(7) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(8) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे:–

(I) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के संबंध में एक घोषणा–पत्र।

(II) उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल द्वारा किए गए स्थाई रजिस्ट्रेशन की दो प्रतियाँ।

(III) ओथ एलिजियन्स का प्रमाण–पत्र।

(IV) सीक्रेट एक्ट की जानकारी होने का प्रमाण–पत्र।

(V) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र।

(VI) लिखित रूप से एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके लिए वह किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(VII) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा–पत्र।

(VIII) गढ़वाल/कुमायूँ के मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

(IX) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थाई निवासी एवं जाति से संबंधित प्रमाण–पत्रों की एक–एक प्रमाणित प्रतियाँ एवं उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण–पत्र।

(X) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र, जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी या रिश्तेदार न हों।

(XI) केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन की गई सेवाओं का अद्यतन घोषणा–पत्र।

2. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत तैनात किए जा रहे अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त योग्यता वरिष्ठता क्रम के आधार पर, इस संबंध में प्रभावी नियमों के आधार पर अवधारित की जायेगी।

नियुक्ति/तैनाती

21 अगस्त, 2018 ई0

संख्या 1093/VIII/18–22(ई0एस0आई0)/2018–उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत वेतनबैण्ड–3, सादृश्य वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400/–(सातवें वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500, लेवल–10) में चिकित्साधिकारी (एलोपैथिक) के पद हेतु संस्तुत, डॉ0 अरूण कुमार को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चिकित्साधिकारी, एलोपैथिक के पद पर अस्थाई रूप से निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त कर, निम्न तालिका के कॉलम–6 में अंकित स्थान पर तैनात किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	चयनित चिकित्साधिकारी का नाम	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थान
1	2	3	4	5	6
1.	डॉ0 अरूण कुमार पुत्र श्री ज्ञान सिंह	हरिद्वार	म0नं0–327, अम्बेडकर नगर, सुनेहरा रोड, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड–247667	म0नं0–327, अम्बेडकर नगर, सुनेहरा रोड, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड–247667	क0रा0बी0औ0, आई0टी0 पार्क, देहरादून

(1) यदि डॉ0 अरूण कुमार के चरित्र सत्यापन एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् चरित्र एवं पूर्ववृत्त सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति/सेवा उत्तराखण्ड अस्थाई सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 2003 के प्राविधानों के अनुसार निरस्त/समाप्त कर दी जायेगी।

(2) संबंधित अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त–सत्यापन की रिपोर्ट एवं अन्य जाति प्रमाण–पत्र अथवा स्थाई निवास प्रमाण–पत्र के सत्यापनोपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है, तो उनका नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जायेगी और इस संबंध में उनका कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

(3) सम्बन्धित अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण, मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा और उक्त बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराने दिया जायेगा। अभ्यर्थी अपने नियुक्ति–पत्र सहित अपनी तैनाती के अपर मण्डलीय निदेशक से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। अपर मण्डलीय निदेशक द्वारा मण्डलीय मेडिकल बोर्ड से वांछित परीक्षण कराकर, अभ्यर्थी का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र संबंधित अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थी का प्रकरण राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को संदर्भित किया जायेगा।

(4) नियुक्त किए जा रहे चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ते तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे। उत्तराखण्ड सरकार, चिकित्सक (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर उत्तर प्रदेश निर्बन्धन नियमावली, 1983 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अन्तर्गत प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित अभ्यर्थी को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे यथास्थिति राज्य सरकार के नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है।

(6) सम्बन्धित नवनियुक्त अभ्यर्थी 01 माह के अन्दर अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। इस अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती हेतु निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर (8) में अंकित सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे इस अवधि के भीतर अपनी तैनाती हेतु निदेशक को अपनी योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(7) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(8) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे:–

(I) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के संबंध में एक घोषणा–पत्र।

(II) उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल द्वारा किए गए स्थाई रजिस्ट्रेशन की दो प्रतियाँ।

(III) ओथ एलिजियन्स का प्रमाण–पत्र।

(IV) सीक्रेट एक्ट की जानकारी होने का प्रमाण–पत्र।

(V) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र।

(VI) लिखित रूप से एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके लिए वह किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(VII) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा–पत्र।

(VIII) गढ़वाल/कुमायूँ के मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

(IX) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थाई निवासी एवं जाति से संबंधित प्रमाण–पत्रों की एक–एक प्रमाणित प्रतियाँ एवं उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण–पत्र।

(X) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र, जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी या रिश्तेदार न हों।

(XI) केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन की गई सेवाओं का अद्यतन घोषणा–पत्र।

2. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत तैनात किए जा रहे अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त योग्यता वरिष्ठता क्रम के आधार पर, इस संबंध में प्रभावी नियमों के आधार पर अवधारित की जायेगी।

नियुक्ति / तैनाती

21 अगस्त, 2018 ई0

संख्या 1094 / VIII / 18–23(ई0एस0आई0) / 2018–उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत वेतनबैण्ड–3, सादृश्य वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400 / –(सातवें वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500, लेवल–10) में चिकित्साधिकारी (एलोपैथिक) के पद हेतु संस्तुत, डॉ0 शैली शर्मा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चिकित्साधिकारी, एलोपैथिक के पद पर अस्थाई रूप से निम्न शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त कर, निम्न तालिका के कॉलम–6 में अंकित स्थान पर तैनात किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	चयनित चिकित्साधिकारी का नाम	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थान
1	2	3	4	5	6
1.	डॉ0 शैली शर्मा पुत्री श्री बी0 के0 शर्मा	हरिद्वार	म0 नं0 478, न्यू आदर्श नगर, नियर ट्रान्सफार्मर, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड–247667	म0 नं0 478, न्यू आदर्श नगर, नियर ट्रान्सफार्मर, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड–247667	क0रा0बी0औ0, डोईवाला

(1) यदि डॉ0 शैली शर्मा के चरित्र सत्यापन एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् चरित्र एवं पूर्ववृत्त सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति / सेवा उत्तराखण्ड अस्थाई सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 2003 के प्राविधानों के अनुसार निरस्त / समाप्त कर दी जायेगी।

(2) संबंधित अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट एवं अन्य जाति प्रमाण–पत्र अथवा स्थाई निवास प्रमाण–पत्र के सत्यापनोपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है, तो उनका नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जायेगी और इस संबंध में उनका कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

(3) सम्बन्धित अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण, मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा और उक्त बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराने दिया जायेगा। अभ्यर्थी अपने नियुक्ति–पत्र सहित अपनी तैनाती के अपर मण्डलीय निदेशक से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। अपर मण्डलीय निदेशक द्वारा मण्डलीय मेडिकल बोर्ड से वांछित परीक्षण कराकर, अभ्यर्थी का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र संबंधित अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थी का प्रकरण राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को संदर्भित किया जायेगा।

(4) नियुक्त किए जा रहे चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ते तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे। उत्तराखण्ड सरकार, चिकित्सक (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर उत्तर प्रदेश निर्बन्धन नियमावली, 1983 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अन्तर्गत प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित अभ्यर्थी को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे यथास्थिति राज्य सरकार के नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है।

(6) सम्बन्धित नवनियुक्त अभ्यर्थी 01 माह के अन्दर अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। इस अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती हेतु निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर (8) में अंकित सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे इस अवधि के भीतर अपनी तैनाती हेतु निदेशक को अपनी योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(7) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(8) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे:–

(I) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के संबंध में एक घोषणा–पत्र।

(II) उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल द्वारा किए गए स्थाई रजिस्ट्रेशन की दो प्रतियाँ।

(III) ओथ एलिजियन्स का प्रमाण–पत्र।

(IV) सीक्रेट एक्ट की जानकारी होने का प्रमाण–पत्र।

(V) चल तथा अचल सम्पति का प्रमाण–पत्र।

(VI) लिखित रूप से एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके लिए वह किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(VII) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा–पत्र।

(VIII) गढ़वाल/कुमायूँ के मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

(IX) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थाई निवासी एवं जाति से संबंधित प्रमाण–पत्रों की एक–एक प्रमाणित प्रतियाँ एवं उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण–पत्र।

(X) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र, जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी या रिश्तेदार न हों।

(XI) केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन की गई सेवाओं का अद्यतन घोषणा–पत्र।

2. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत तैनात किए जा रहे अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त योग्यता वरिष्ठता क्रम के आधार पर, इस संबंध में प्रभावी नियमों के आधार पर अवधारित की जायेगी।

नियुक्ति/तैनाती

21 अगस्त, 2018 ई0

संख्या 1095/VIII/18–25(ई0एस0आई0)/2018–उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत वेतनबैण्ड–3, सादृश्य वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400/–(सातवें वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500, लेवल–10) में चिकित्साधिकारी (एलोपैथिक) के पद हेतु संस्तुत, डॉ0 नवनीत कुमार को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चिकित्साधिकारी, एलोपैथिक के पद पर अस्थाई रूप से निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त कर, निम्न तालिका के कॉलम–6 में अंकित स्थान पर तैनात किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	चयनित चिकित्साधिकारी का नाम	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थान
1	2	3	4	5	6
1.	डॉ0 नवनीत कुमार पुत्र श्री प्रमोद कुमार	हरिद्वार	ग्राम और पो0 डबकी कलॉन, हरिद्वार, उत्तराखण्ड–247663	ग्राम और पो0 डबकी कलॉन, हरिद्वार, उत्तराखण्ड–247663	क0रा0बी0औ0, पटेल नगर

(1) यदि डॉ0 नवनीत कुमार के चरित्र सत्यापन एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् चरित्र एवं पूर्ववृत्त सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति/सेवा उत्तराखण्ड अस्थाई सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 2003 के प्राविधानों के अनुसार निरस्त/समाप्त कर दी जायेगी।

(2) संबंधित अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट एवं अन्य जाति प्रमाण–पत्र अथवा स्थाई निवास प्रमाण–पत्र के सत्यापनोपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है, तो उनका नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जायेगी और इस संबंध में उनका कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

(3) सम्बन्धित अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण, मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा और उक्त बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराने दिया जायेगा। अभ्यर्थी अपने नियुक्ति–पत्र सहित अपनी तैनाती के अपर मण्डलीय निदेशक से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। अपर मण्डलीय निदेशक द्वारा मण्डलीय मेडिकल बोर्ड से वांछित परीक्षण कराकर, अभ्यर्थी का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र संबंधित अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थी का प्रकरण राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को संदर्भित किया जायेगा।

(4) नियुक्त किए जा रहे चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ते तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे। उत्तराखण्ड सरकार, चिकित्सक (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर उत्तर प्रदेश निर्बन्धन नियमावली, 1983 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अन्तर्गत प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित अभ्यर्थी को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे यथास्थिति राज्य सरकार के नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है।

(6) सम्बन्धित नवनियुक्त अभ्यर्थी 01 माह के अन्दर अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। इस अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती हेतु निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर (8) में अंकित सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे इस अवधि के भीतर अपनी तैनाती हेतु निदेशक को अपनी योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(7) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(8) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे:–

(I) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के संबंध में एक घोषणा–पत्र।

(II) उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल द्वारा किए गए स्थाई रजिस्ट्रेशन की दो प्रतियाँ।

(III) ओथ एलिजियन्स का प्रमाण–पत्र।

(IV) सीक्रेट एक्ट की जानकारी होने का प्रमाण–पत्र।

(V) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र।

(VI) लिखित रूप से एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके लिए वह किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(VII) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा–पत्र।

(VIII) गढ़वाल/कुमायूँ के मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

(IX) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थाई निवासी एवं जाति से संबंधित प्रमाण–पत्रों की एक–एक प्रमाणित प्रतियाँ एवं उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण–पत्र।

(X) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र, जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी या रिश्तेदार न हों।

(XI) केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन की गई सेवाओं का अद्यतन घोषणा–पत्र।

2. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत तैनात किए जा रहे अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त योग्यता वरिष्ठता क्रम के आधार पर, इस संबंध में प्रभावी नियमों के आधार पर अवधारित की जायेगी।

नियुक्ति/तैनाती

21 अगस्त, 2018 ई0

संख्या 1096/VIII/18–26(ई0एस0आई0)/2018–उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत वेतनबैण्ड–3, सादृश्य वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400/–(सातवें वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500, लेवल–10) में चिकित्साधिकारी (एलोपैथिक) के पद हेतु संस्तुत, डॉ0 रीना देवी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चिकित्साधिकारी, एलोपैथिक के पद पर अस्थाई रूप से निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त कर, निम्न तालिका के कॉलम–6 में अंकित स्थान पर तैनात किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	चयनित चिकित्साधिकारी का नाम	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थान
1	2	3	4	5	6
1.	डॉ0 रीना देवी पत्नी श्री जयेन्द्र प्रताप	हरिद्वार	123, श्याम नगर, नियर बी0डी0एस0 पब्लिक स्कूल, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड–247667	डॉ0 रीना देवी पुत्री श्री राम कुमार, म0 नं0 720, गली नं0 1, बी0 बजवा कॉलोनी, पटियाला (पंजाब), पिन–147003, पटियाला, पंजाब–147003	क0रा0बी0औ0, हल्द्वानी

(1) यदि डॉ0 रीना देवी के चरित्र सत्यापन एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् चरित्र एवं पूर्ववृत्त सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति/सेवा उत्तराखण्ड अस्थाई सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 2003 के प्राविधानों के अनुसार निरस्त/समाप्त कर दी जायेगी।

(2) संबंधित अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट एवं अन्य जाति प्रमाण–पत्र अथवा स्थाई निवास प्रमाण–पत्र के सत्यापनोपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है, तो उनका नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जायेगी और इस संबंध में उनका कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

(3) सम्बन्धित अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण, मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा और उक्त बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराने दिया जायेगा। अभ्यर्थी अपने नियुक्ति–पत्र सहित अपनी तैनाती के अपर मण्डलीय निदेशक से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। अपर मण्डलीय निदेशक द्वारा मण्डलीय मेडिकल बोर्ड से वांछित परीक्षण कराकर, अभ्यर्थी का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र संबंधित अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थी का प्रकरण राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को संदर्भित किया जायेगा।

(4) नियुक्त किए जा रहे चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ते तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे। उत्तराखण्ड सरकार, चिकित्सक (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर उत्तर प्रदेश निर्बन्धन नियमावली, 1983 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अन्तर्गत प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित अभ्यर्थी को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे यथास्थिति राज्य सरकार के नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है।

(6) सम्बन्धित नवनियुक्त अभ्यर्थी 01 माह के अन्दर अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। इस अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती हेतु निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर (8) में अंकित सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे इस अवधि के भीतर अपनी तैनाती हेतु निदेशक को अपनी योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(7) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(8) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे:–

(I) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के संबंध में एक घोषणा–पत्र।

(II) उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल द्वारा किए गए स्थाई रजिस्ट्रेशन की दो प्रतियाँ।

(III) ओथ एलिजियन्स का प्रमाण–पत्र।

(IV) सीक्रेट एक्ट की जानकारी होने का प्रमाण–पत्र।

(V) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र।

(VI) लिखित रूप से एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके लिए वह किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(VII) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा–पत्र।

(VIII) गढ़वाल/कुमायूँ के मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

(IX) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थाई निवासी एवं जाति से संबंधित प्रमाण–पत्रों की एक–एक प्रमाणित प्रतियाँ एवं उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण–पत्र।

(X) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र, जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी या रिश्तेदार न हों।

(XI) केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन की गई सेवाओं का अद्यतन घोषणा–पत्र।

2. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत तैनात किए जा रहे अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त योग्यता वरिष्ठता क्रम के आधार पर, इस संबंध में प्रभावी नियमों के आधार पर अवधारित की जायेगी।

नियुक्ति/तैनाती

21 अगस्त, 2018 ई0

संख्या 1097/VIII/18–27(ई0एस0आई0)/2018–उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत वेतनबैण्ड–3, सादृश्य वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400/–(सातवें वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500, लेवल–10) में चिकित्साधिकारी (एलोपैथिक) के पद हेतु संस्तुत, डॉ0 अभिषेक आर्य को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चिकित्साधिकारी, एलोपैथिक के पद पर अस्थाई रूप से निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त कर, निम्न तालिका के कॉलम–6 में अंकित स्थान पर तैनात किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	चयनित चिकित्साधिकारी का नाम	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थान
1	2	3	4	5	6
1.	डॉ0 अभिषेक आर्य पुत्र श्री ओम प्रकाश आर्य	पौड़ी गढ़वाल	ग्राम–कण्डलाई, पो0ऑ0 तिमलासेन, तहसील–लेन्सडाउन, जनपद–पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड–246179	अभिषेक आर्य C/o डॉ0 ओ0 पी0 आर्य, ACMO O/o चीफ मेडिकल ऑफिसर, जनपद–रूद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड–246171	क0रा0बी0औ0, काशीपुर

(1) यदि डॉ0 अभिषेक आर्य के चरित्र सत्यापन एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् चरित्र एवं पूर्ववृत्त सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति/सेवा उत्तराखण्ड अस्थाई सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 2003 के प्राविधानों के अनुसार निरस्त/समाप्त कर दी जायेगी।

(2) संबंधित अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट एवं अन्य जाति प्रमाण–पत्र अथवा स्थाई निवास प्रमाण–पत्र के सत्यापनोपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है, तो उनका नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जायेगी और इस संबंध में उनका कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

(3) सम्बन्धित अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण, मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा और उक्त बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराने दिया जायेगा। अभ्यर्थी अपने नियुक्ति–पत्र सहित अपनी तैनाती के अपर मण्डलीय निदेशक से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। अपर मण्डलीय निदेशक द्वारा मण्डलीय मेडिकल बोर्ड से वांछित परीक्षण कराकर, अभ्यर्थी का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र संबंधित अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थी का प्रकरण राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को संदर्भित किया जायेगा।

(4) नियुक्त किए जा रहे चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ते तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे। उत्तराखण्ड सरकार, चिकित्सक (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर उत्तर प्रदेश निर्बन्धन नियमावली, 1983 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अन्तर्गत प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित अभ्यर्थी को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे यथास्थिति राज्य सरकार के नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है।

(6) सम्बन्धित नवनियुक्त अभ्यर्थी 01 माह के अन्दर अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। इस अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती हेतु निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर (8) में अंकित सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे इस अवधि के भीतर अपनी तैनाती हेतु निदेशक को अपनी योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(7) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(8) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगेः–

(I) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के संबंध में एक घोषणा–पत्र।

(II) उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल द्वारा किए गए स्थाई रजिस्ट्रेशन की दो प्रतियाँ।

(III) ओथ एलिजियन्स का प्रमाण–पत्र।

(IV) सीक्रेट एक्ट की जानकारी होने का प्रमाण–पत्र।

(V) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र।

(VI) लिखित रूप से एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके लिए वह किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(VII) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा–पत्र।

(VIII) गढ़वाल/कुमायूँ के मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

(IX) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थाई निवासी एवं जाति से संबंधित प्रमाण–पत्रों की एक–एक प्रमाणित प्रतियाँ एवं उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण–पत्र।

(X) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र, जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी या रिश्तेदार न हों।

(XI) केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन की गई सेवाओं का अद्यतन घोषणा–पत्र।

2. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत तैनात किए जा रहे अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त योग्यता वरिष्ठता क्रम के आधार पर, इस संबंध में प्रभावी नियमों के आधार पर अवधारित की जायेगी।

नियुक्ति/तैनाती

21 अगस्त, 2018 ई0

संख्या 1098/VIII/18–28(ई0एस0आई0)/2018–उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत वेतनबैण्ड–3, सादृश्य वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400/–(सातवें वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500, लेवल–10) में चिकित्साधिकारी (एलोपैथिक) के पद हेतु संस्तुत, डॉ0 अशोक दीवान को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चिकित्साधिकारी, एलोपैथिक के पद पर अस्थाई रूप से निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त कर, निम्न तालिका के कॉलम–6 में अंकित स्थान पर तैनात किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क्र0 सं0	चयनित चिकित्साधिकारी का नाम	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थान
1	2	3	4	5	6
1.	डॉ0 अशोक दीवान पुत्र श्री दीवान राम	अल्मोड़ा	ग्राम छिरातीमिना, तहसील–ज्यैंती, पो0 ऑ0–बक्श्वर, जनपद–अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड–263626	ग्राम फसीयापुरा, ढाकिया गुलाब रोड़ तहसील–काशीपुर, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड–244713	क0रा0बी0औ0, नैनीताल

(1) यदि डॉ0 अशोक दीवान के चरित्र सत्यापन एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् चरित्र एवं पूर्ववृत्त सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति/सेवा उत्तराखण्ड अस्थाई सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 2003 के प्राविधानों के अनुसार निरस्त/समाप्त कर दी जायेगी।

(2) संबंधित अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट एवं अन्य जाति प्रमाण–पत्र अथवा स्थाई निवास प्रमाण–पत्र के सत्यापनोपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है, तो उनका नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जायेगी और इस संबंध में उनका कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

(3) सम्बन्धित अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण, मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा और उक्त बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराने दिया जायेगा। अभ्यर्थी अपने नियुक्ति–पत्र सहित अपनी तैनाती के अपर मण्डलीय निदेशक से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। अपर मण्डलीय निदेशक द्वारा मण्डलीय मेडिकल बोर्ड से वांछित परीक्षण कराकर, अभ्यर्थी का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र संबंधित अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थी का प्रकरण राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को संदर्भित किया जायेगा।

(4) नियुक्त किए जा रहे चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ते तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे। उत्तराखण्ड सरकार, चिकित्सक (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर उत्तर प्रदेश निर्बन्धन नियमावली, 1983 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अन्तर्गत प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित अभ्यर्थी को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे यथास्थिति राज्य सरकार के नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है।

(6) सम्बन्धित नवनियुक्त अभ्यर्थी 01 माह के अन्दर अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। इस अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती हेतु निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर (8) में अंकित सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे इस अवधि के भीतर अपनी तैनाती हेतु निदेशक को अपनी योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(7) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(8) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे:–

(I) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के संबंध में एक घोषणा–पत्र।

(II) उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल द्वारा किए गए स्थाई रजिस्ट्रेशन की दो प्रतियाँ।

(III) ओथ एलिजियन्स का प्रमाण–पत्र।

(IV) सीक्रेट एक्ट की जानकारी होने का प्रमाण–पत्र।

(V) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र।

(VI) लिखित रूप से एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके लिए वह किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(VII) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा–पत्र।

(VIII) गढ़वाल/कुमायूँ के मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

(IX) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थाई निवासी एवं जाति से संबंधित प्रमाण–पत्रों की एक–एक प्रमाणित प्रतियाँ एवं उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण–पत्र।

(X) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र, जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी या रिश्तेदार न हों।

(XI) केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन की गई सेवाओं का अद्यतन घोषणा–पत्र।

2. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत तैनात किए जा रहे अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त योग्यता वरिष्ठता क्रम के आधार पर, इस संबंध में प्रभावी नियमों के आधार पर अवधारित की जायेगी।

नियुक्ति/तैनाती

21 अगस्त, 2018 ई0

संख्या 1099/VIII/18–29(ई0एस0आई0)/2018–उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत वेतनबैण्ड–3, सादृश्य वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400/–(सातवें वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500, लेवल–10) में चिकित्साधिकारी (एलोपैथिक) के पद हेतु संस्तुत, डॉ0 पवन कार्की को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चिकित्साधिकारी, एलोपैथिक के पद पर अस्थाई रूप से निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त कर, निम्न तालिका के कॉलम–6 में अंकित स्थान पर तैनात किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	चयनित चिकित्साधिकारी का नाम	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थान
1	2	3	4	5	6
1.	डॉ0 पवन कार्की पुत्र श्री बलराम सिंह	पिथौरागढ़	शान्ति कुन्ज, नया बाजार, बेरीनाग, पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड–262531	शान्ति कुन्ज, नया बाजार, बेरीनाग, पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड–262531	क0रा0बी0औ0, रूद्रपुर–1

(1) यदि डॉ0 पवन कार्की के चरित्र सत्यापन एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् चरित्र एवं पूर्ववृत्त सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति/सेवा उत्तराखण्ड अस्थाई सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 2003 के प्राविधानों के अनुसार निरस्त/समाप्त कर दी जायेगी।

(2) संबंधित अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट एवं अन्य जाति प्रमाण–पत्र अथवा स्थाई निवास प्रमाण–पत्र के सत्यापनोपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है, तो उनका नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जायेगी और इस संबंध में उनका कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

(3) सम्बन्धित अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण, मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा और उक्त बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराने दिया जायेगा। अभ्यर्थी अपने नियुक्ति–पत्र सहित अपनी तैनाती के अपर मण्डलीय निदेशक से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। अपर मण्डलीय निदेशक द्वारा मण्डलीय मेडिकल बोर्ड से वांछित परीक्षण कराकर, अभ्यर्थी का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र संबंधित अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थी का प्रकरण राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को संदर्भित किया जायेगा।

(4) नियुक्त किए जा रहे चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ते तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे। उत्तराखण्ड सरकार, चिकित्सक (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर उत्तर प्रदेश निर्बन्धन नियमावली, 1983 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अन्तर्गत प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित अभ्यर्थी को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे यथास्थिति राज्य सरकार के नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है।

(6) सम्बन्धित नवनियुक्त अभ्यर्थी 01 माह के अन्दर अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। इस अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती हेतु निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर (8) में अंकित सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे इस अवधि के भीतर अपनी तैनाती हेतु निदेशक को अपनी योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(7) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(8) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगेः–

(I) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के संबंध में एक घोषणा–पत्र।

(II) उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल द्वारा किए गए स्थाई रजिस्ट्रेशन की दो प्रतियाँ।

(III) ओथ एलिजियन्स का प्रमाण–पत्र।

(IV) सीक्रेट एक्ट की जानकारी होने का प्रमाण–पत्र।

(V) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र।

(VI) लिखित रूप से एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके लिए वह किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(VII) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा–पत्र।

(VIII) गढ़वाल/कुमायूँ के मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

(IX) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थाई निवासी एवं जाति से संबंधित प्रमाण–पत्रों की एक–एक प्रमाणित प्रतियाँ एवं उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण–पत्र।

(X) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र, जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी या रिश्तेदार न हों।

(XI) केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन की गई सेवाओं का अद्यतन घोषणा–पत्र।

2. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत तैनात किए जा रहे अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त योग्यता वरिष्ठता क्रम के आधार पर, इस संबंध में प्रभावी नियमों के आधार पर अवधारित की जायेगी।

नियुक्ति/तैनाती

21 अगस्त, 2018 ई0

संख्या 2000/VIII/18–30(ई0एस0आई0)/2018–उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत वेतनबैण्ड–3, सादृश्य वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400/–(सातवें वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500, लेवल–10) में चिकित्साधिकारी (एलोपैथिक) के पद हेतु संस्तुत, डॉ0 प्रियंका टम्टा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चिकित्साधिकारी, एलोपैथिक के पद पर अस्थाई रूप से निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त कर, निम्न तालिका के कॉलम–6 में अंकित स्थान पर तैनात किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	चयनित चिकित्साधिकारी का नाम	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थान
1	2	3	4	5	6
1.	डॉ0 प्रियंका टम्टा पुत्री श्री गणेश लाल टम्टा	पिथौरागढ़	ग्राम दूय्ल हराकोट, पो0ऑ0 चहाज, तहसील–गंगोलीहाट, जनपद पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड–262522	म0 नं0–50 लाजवन्ती नगर, नियर सेक्टर–11, इन्द्र नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226016	क0रा0बी0औ0, सितारगंज

(1) यदि डॉ0 प्रियंका टम्टा के चरित्र सत्यापन एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् चरित्र एवं पूर्ववृत्त सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति/सेवा उत्तराखण्ड अस्थाई सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 2003 के प्राविधानों के अनुसार निरस्त/समाप्त कर दी जायेगी।

(2) संबंधित अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट एवं अन्य जाति प्रमाण–पत्र अथवा स्थाई निवास प्रमाण–पत्र के सत्यापनोपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है, तो उनका नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जायेगी और इस संबंध में उनका कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

(3) सम्बन्धित अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण, मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा और उक्त बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराने दिया जायेगा। अभ्यर्थी अपने नियुक्ति–पत्र सहित अपनी तैनाती के अपर मण्डलीय निदेशक से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। अपर मण्डलीय निदेशक द्वारा मण्डलीय मेडिकल बोर्ड से वांछित परीक्षण मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थी का प्रकरण राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को संदर्भित किया जायेगा।

(4) नियुक्त किए जा रहे चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ते तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे। उत्तराखण्ड सरकार, चिकित्सक (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर उत्तर प्रदेश निर्बन्धन नियमावली, 1983 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अन्तर्गत प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित अभ्यर्थी को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे यथास्थिति राज्य सरकार के नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है।

(6) सम्बन्धित नवनियुक्त अभ्यर्थी 01 माह के अन्दर अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। इस अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती हेतु निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर (8) में अंकित सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे इस अवधि के भीतर अपनी तैनाती हेतु निदेशक को अपनी योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(7) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(8) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे:–

(I) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के संबंध में एक घोषणा–पत्र।

(II) उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल द्वारा किए गए स्थाई रजिस्ट्रेशन की दो प्रतियाँ।

(III) ओथ एलिजियन्स का प्रमाण–पत्र।

(IV) सीक्रेट एक्ट की जानकारी होने का प्रमाण–पत्र।

(V) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र।

(VI) लिखित रूप से एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके लिए वह किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(VII) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा–पत्र।

(VIII) गढ़वाल/कुमायूँ के मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

(IX) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थाई निवासी एवं जाति से संबंधित प्रमाण–पत्रों की एक–एक प्रमाणित प्रतियाँ एवं उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण–पत्र।

(X) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र, जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी या रिश्तेदार न हों।

(XI) केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन की गई सेवाओं का अद्यतन घोषणा–पत्र।

2. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत तैनात किए जा रहे अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त योग्यता वरिष्ठता क्रम के आधार पर, इस संबंध में प्रभावी नियमों के आधार पर अवधारित की जायेगी।

आज्ञा से,

हरबंस सिंह चुघ,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 39 हिन्दी गजट/508–भाग 1–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या--यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 सितम्बर, 2018 ई0 (आश्विन 07, 1940 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

July 27, 2018

No. 227/UHC/XIV-78/Admin.A/2003--Smt. Monika Mittal, Additional District & Sessions Judge, Khatima, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned maternity leave for 180 days *w.e.f.* 26.01.2018 to 24.07.2018, in terms of F.R. 101 and S.R. 153 & 154 of F.H.B., Volume II (Parts 2-4) and Office Memo No. 250/XXVII(7)/2009, dated 24.08.2009 issued by Government of Uttarakhand.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

Aug 01, 2018

No. 228/UHC/XIV-3/Admin.A/2008--Sri Arvind Nath Tripathi, Chief Judicial Magistrate, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 20 days *w.e.f.* 09.07.2018 to 28.07.2018 with permission to prefix 08.07.2018 as Sunday holiday and suffix 29.07.2018 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

Aug. 02, 2018

No. 229/UHC/XIV-14/Admin.A/2008--Sri Dharmendra Kumar Singh, Chief Judicial Magistrate, Champawat is hereby sanctioned earned leave for 11 days *w.e.f.* 23.04.2018 to 03.05.2018.

NOTIFICATION

Aug. 08, 2018

No. 246/UHC/XIV/33/Admin.A--Sri Dinesh Prasad Gairola, District & Sessions Judge, Uttarkashi is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 16.07.2018 to 28.07.2018 with permission to prefix 15.07.2018 as Sunday holiday and suffix 29.07.2018 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेश

आदेश

25 जुलाई, 2018 ई0

पत्रांक–776/ला0/निलम्ब0/2018–विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों/पुलिस अधिकारियों द्वारा चालन अनुज्ञप्ति के विरूद्ध की गई कार्यवाही की संस्तुति पर लाइसेन्सधारकों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। लाइसेन्सधारकों द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण चालन अनुज्ञप्तियों के विरूद्ध जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में, डा0 अनीता चमोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित लाइसेन्सों को उनके सम्मुख अंकित अवधि तक निलम्बित करती हूँ:–

क्र0 सं0	लाइसेंसधारक का नाम व पता	लाइसेंस संख्या/श्रेणी	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	कृत कार्यवाही निलम्बित
1	2	3	4	5	6
1.	श्री नवीन प्रसाद पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद, निवासी–लीसा डिपो रोड, ऋषिकेश	यूके–1420050066832, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पौड़ी	शराब का सेवन कर वाहन का संचालन करना	मा0 उच्च0 न्या0 के निर्देशों के अनु0 में तीन माह हेतु निल0
2.	श्री राजेन्द्र सिंह नेगी पुत्र श्री रतन सिंह नेगी, निवासी ग्रा कयाड, टिहरी	यूके–1420040052211, मो0 सा0, कार	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पौड़ी	शराब का सेवन कर वाहन का संचालन करना	मा0 उच्च0 न्या0 के निर्देशों के अनु0 में तीन माह हेतु निल0
3.	श्री विवेक पुत्र श्री बचन सिंह, निवासी स्वर्ग आश्रम, पौड़ी गढ़वाल	यूके–1420150087071, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन यान	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पौड़ी	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	15.05.2018 से 14.08.2018 तक निलम्बित
4.	श्री अरविन्द प्रकाश पुत्र श्री गोविन्द लाल, निवासी–14 बीघा, मुनि की रेती, ऋषिकेश	यूके–1420090003541 कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन यान,	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	17.04.2018 से 16.07.2018 तक निलम्बित

1	2	3	4	5	6
5.	श्री विपिन कुमार पुत्र श्री कमल सिंह, निवासी–ऋषिकेश	यूके–142005008633, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन यान	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पौड़ी	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	17.05.2018 से 16.08.2018 तक निलम्बित
6.	श्री अभोग गोतम पुत्र श्री प्रदीप गोतम, निवासी–आवास विकास कॉलोनी, ऋषिकेश	यूके–142015008812, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	डिप्टी पुलिस अधीक्षक, यातायात साउथ जोन, चण्डीगढ़	ओवर स्पीड	मा0 उच0 न्या0 के निर्देशों के अनु0 में तीन माह हेतु निल0
7.	श्री रोहन चौधरी पुत्र श्री बहमपाल, निवासी–इन्द्रानगर, ऋषिकेश	यूके–1420140072801, मोटर साइकिल	सहा0संभ0 परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल फोन का प्रयोग	मा0 उच0 न्या0 के निर्देशों के अनु0 में तीन माह हेतु निल0
8.	श्री शुभम भण्डारी पुत्र श्री मोहन, निवासी–गुमानीवाला, ऋषिकेश	यूके–1420130063363, मो0 व कार	सहा0संभ0 परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल फोन का प्रयोग	मा0 उच0 न्या0 के निर्देशों के अनु0 में तीन माह हेतु निल0
9.	श्री राजेश लाल पुत्र श्री जतन लाल, निवासी–मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल	यूके–1420060055967, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन यान	सहा0संभ0 परि0अ0, ऋषिकेश	ओवर लोड	मा0 उच0 न्या0 के निर्देशों के अनु0 में तीन माह हेतु निल0
10.	श्री दरमयान सिंह पुत्र श्री राय सिंह, निवासी–ग्राम नकोट, टिहरी गढ़वाल	यूके–1420040022707, हल्का मोटर वाहन, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0 परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल फोन का प्रयोग	मा0 उच0 न्या0 के निर्देशों के अनु0 में तीन माह हेतु निल0
11.	श्री महादेव प्रसाद पुत्र श्री सुन्दर लाल, निवासी–तपोवन, टिहरी गढ़वाल	यूके–1420000040490, हल्का मोटर वाहन, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0 परि0अ0, ऋषिकेश	ओवर लोड	मा0 उच0 न्या0 के निर्देशों के अनु0 में तीन माह हेतु निल0
12.	श्री विक्की पुत्र श्री महाराज सिंह, निवासी–ऋषिकेश	यूके–1420110022502, हल्का मोटर वाहन, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0 परि0अ0, ऋषिकेश	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	18.04.2018 से 17.07.2018 तक निलम्बित
13.	श्री महेश पैन्यूली पुत्र श्री ओम प्रकाश पैन्यूली, निवासी–रानीपोखरी देहरादून	यूके–1420170103099, मोटर साइकिल व कार	सहा0संभ0 परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल फोन का प्रयोग	मा0 उच0 न्या0 के निर्देशों के अनु0 में तीन माह हेतु निल0
14.	श्री पुरन सिंह पुत्र श्री कुंवर सिंह, निवासी–ऋषिकेश	यूके–1419840046061, हल्का मोटर वाहन, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0 परि0अ0, ऋषिकेश	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	28.05.2018 से 27.05.2018 तक निलम्बित
15.	श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री विसवाराम सिंह, निवासी–ट्रक यूनियन, ऋषिकेश	यूके–1419840046061, हल्का मोटर वाहन, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0 परि0अ0, ऋषिकेश	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	28.05.2018 से 27.08.2018 तक निलम्बित
16.	श्री विजय सिंह पंवार पुत्र श्री अनोधर सिंह, निवासी श्यामपुर, ऋषिकेश	यूके–1420100016357, मोटर साइकिल व कार	सहा0संभ0 परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल फोन का प्रयोग	मा0 उच0 न्या0 के निर्देशों के अनु0 में तीन माह हेतु निल0

1	2	3	4	5	6
17.	श्री जसवीर सिंह पुत्र श्री चमेली राम, निवासी–श्यामपुर, ऋषिकेश	यूके–1419950029690, हल्का मोटर वाहन, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी	मोबाइल फोन का प्रयोग	मा0 उच0 न्या0 के निर्देशों के अनु0 में तीन माह हेतु निल0
18.	श्री नवराज राय धीर पुत्र श्री सुरेन्द्र पॉल धीर, निवासी–तिलक रोड, ऋषिकेश	यूके–1420150084025, मोटर साइकिल व कार	पुलिस अधीक्षक, पंचकुला	ओवर स्पीड	मा0 उच0 न्या0 के निर्देशों के अनु0 में तीन माह हेतु निल0
19.	श्री अनूप प्रसाद पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद, निवासी–रायवाला, ऋषिकेश	यूके–142050079248, मोटर साइकिल व कार	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी	शराब का सेवन कर वाहन का संचालन करना	मा0 उच0 न्या0 के निर्देशों के अनु0 में तीन माह हेतु निल0
20.	श्री त्रिवेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम रतन सिंह, निवासी–ढालवाला, ऋषिकेश	यूके–142012004682, ह0मो0 वाहन मोटर वाहन (व्य0)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी	ओवर स्पीड व खतरनाक संचालन	मा0 उच0 न्या0 के निर्देशों के अनु0 में तीन माह हेतु निल0
21.	श्री ब्रिज मोहन पुत्र श्री रीबुल लाल, निवासी–मुनि की रेती, ऋषिकेश	यूके–1419930082609, मोटर साइकिल व कार	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी	शराब का सेवन कर, वाहन का संचालन करना	मा0 उच0 न्या0 के निर्देशों के अनु0 में तीन माह हेतु निल0
22.	श्री जय सिंह पुत्र श्री उमेद सिंह, निवासी–बापू ग्राम, ऋषिकेश	यूके–1420150086628, हल्का मोटर वाहन, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	पुलिस अधीक्षक, चमोली	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	23.05.2018 से 22.08.2018 तक निलम्बित
23.	श्री सजीव वेलवाल पुत्र श्री मोहन लाल वेलवाल, निवासी जौली ग्रान्ट, देहरादून	9214/ऋषिकेश/07, मोटर साइकिल व कार	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल फोन का प्रयोग	मा0 उच0 न्या0 के निर्देशों के अनु0 में तीन माह हेतु निल0
24.	श्री अमित सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह, निवासी–185, गंगा नगर, ऋषिकेश	यूके–1420120041784, मोटर साइकिल व कार	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पौड़ी	शराब का सेवन कर वाहन का संचालन करना	मा0 उच0 न्या0 के निर्देशों के अनु0 में तीन माह हेतु निल0
25.	श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह, निवासी–श्यामपुर, ऋषिकेश	यूके–1420060038490, हल्का मो0 वा0, हल्का मो0 वा0 (व्यवसायिक)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पौड़ी	मोबाइल फोन का प्रयोग	मा0 उच0 न्या0 के निर्देशों के अनु0 में तीन माह हेतु निल0
26.	श्री भगवान सिंह गुसाई पुत्र श्री बालम सिंह, निवासी–रेलवे रोड, ऋषिकेश	यूके–1420020028222, हल्का मो0 वा0, हल्का मो0 वा0 (व्यवसायिक)	पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी	ओवर स्पीड	मा0 उच0 न्या0 के निर्देशों के अनु0 में तीन माह हेतु निल0
27.	श्री प्रमोद सिंह पुत्र श्री थाना सिंह, निवासी–ऋषिकेश	यूके–1419930038828, हल्का मो0 वा0, हल्का मो0 वा0 (व्यवसायिक)	डिप्टी पुलिस अधीक्षक, यातायात साउथ जोन, चण्डीगढ़	ओवर स्पीड	मा0 उच0 न्या0 के निर्देशों के अनु0 में तीन माह हेतु निल0

डा0 अनीता चमोला,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
ऋषिकेश।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग

आदेश

26 जुलाई, 2018 ई0

संख्या–548/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2018–मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0 पार्ट–3, दिनांक 18.08.2015, सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0–पार्ट–3, दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर, वाहन चालकों के लाइसेंस के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है।

अतः, दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेन्सिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के रूप में, मैं, मोहित कुमार कोठारी, वाहन अधिनियम 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ:–

क्र0 सं0	चालक का नाम व पता	डी0एल0 संख्या व वैधता	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री पंकज सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह, ग्राम कुण्ड, पो0 चंद्रापुरी, जनपद रूद्रप्रयाग	**UK-1320130003756**, VALIDITY (NT)— 10.03.2033	रेड लाइट जम्पिंग	D.S.P., TRAFFIC POLICE, CHANDIGARH	26.07.2018 से 25.10.2018
2.	श्री संजय सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह, ग्राम बस्ता, पो0 तिमली, जनपद रूद्रप्रयाग	**UK-1320150008641**, VALIDITY (NT)— 05.11.2035	नशे की हालत में वाहन का संचालन	S.P., RUDRAPRAYAG	26.07.2018 से 25.10.2018
3.	श्री भगत सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, ग्राम धारतोन्दला, पो0 गणेशपुर, जनपद रूद्रप्रयाग	**UK-1320170011292**, VALIDITY (NT)— 15.06.2034	ओवरलोड (यात्री वाहन)	S.P., RUDRAPRAYAG	26.07.2018 से 25.10.2018
4.	श्री देवेन्द्र वैष्णव पुत्र श्री धरमानंद, ग्राम व पो0 चंद्रापुरी, जनपद रूद्रप्रयाग	**UK-1320140036535**, VALIDITY (NT)— 15.06.2034, VALIDITY (T)— 29.09.2019	ओवरलोड (यात्री वाहन)	S.P., RUDRAPRAYAG	26.07.2018 से 25.10.2018
5.	श्री अनूप कुमार पुत्र श्री कुलानंद ग्राम गौरीकुण्ड, जनपद रूद्रप्रयाग	**UK-1320110000266**, VALIDITY (NT)— 09.03.2031	वाहन संचालन के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग	S.P., RUDRAPRAYAG	26.07.2018 से 25.10.2018
6.	श्री विनोद कुमार सेमवाल पुत्र श्री मदन मोहन सेमवाल, ग्राम गुप्तकाशी, जनपद रूद्रप्रयाग	**UK13 20170013615**, VALIDITY (NT)— 27.12.2022	नशे ही हालत में वाहन का संचालन	S.P., RUDRAPRAYAG	26.07.2018 से 25.10.2018
7.	श्री जितेन्द्र चंद्र पुत्र श्री बिन्दी लाल, ग्राम कमसाल, पो0 जगोठ, जनपद रूद्रप्रयाग	**UK-1320150007177**, VALIDITY (NT)— 26.02.2035, VALIDITY (T)— 04.05.2019	तीव्र गति एवं खतरनाक संचालन	S.P., RUDRAPRAYAG	26.07.2018 से 25.10.2018

1	2	3	4	5	6
8.	श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री जांगी सिंह, ग्राम चमेली, पो0 विनोवापुरी सौड़ी, थाना अगस्त्यमुनि, जनपद रूद्रप्रयाग	**UK-1319870005821,** VALIDITY (NT)— 11.06.2022, VALIDITY (T)— 26.06.2020	ओवर लोड सवारी (यात्री वाहन)	S.P., RUDRAPRAYAG	26.07.2018 से 25.10.2018
9.	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, ग्राम व पो0 उतस्यूँ, जनपद रूद्रप्रयाग	**UK-1320090010618,** VALIDITY (NT)— 30.11.2029, VALIDITY (T)— 03.02.2020	ओवर लोड सवारी (यात्री वाहन)	S.P., RUDRAPRAYAG	26.07.2018 से 25.10.2018
10.	श्री प्रघुमन पुत्र श्री इन्द्र सिंह, ग्राम फलई, थाना अगस्त्यमुनि, जनपद रूद्रप्रयाग	**UK-1320080001133,** VALIDITY (NT)— 07.08.2028, VALIDITY (T)— 15.10.2020	ओवर लोड सवारी (यात्री वाहन)	S.P., RUDRAPRAYAG	26.07.2018 से 25.10.2018
11.	श्री हर्षवर्धन पुत्र श्री कुंवर लाल, ग्राम डामार, पो0 भीरी, थाना ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग	**UK-1320110001000,** VALIDITY (NT)— 11.08.2031, VALIDITY (T)— 03.10.2018	ओवर लोड सवारी (यात्री वाहन)	S.P., RUDRAPRAYAG	26.07.2018 से 25.10.2018
12.	श्री सलोप सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह, ग्राम मैठाना, थाना अगस्त्यमुनि, जनपद रूद्रप्रयाग	**UK-1320120001885,** VALIDITY (NT)— 01.03.2032, VALIDITY (T)— 26.05.2019	ओवर लोड सवारी (यात्री वाहन)	S.P., RUDRAPRAYAG	26.07.2018 से 25.10.2018
13.	श्री अमर लाल पुत्र श्री मुकन्दी लाल, ग्राम कौनगढ़, पो0 त्रियुगीनारायण, जनपद रूद्रप्रयाग	**UK-1320100000651,** VALIDITY (NT)— 01.06.2024, VALIDITY (T)— 10.02.2019	ओवर लोड सवारी (यात्री वाहन)	S.P., RUDRAPRAYAG	26.07.2018 से 25.10.2018

मोहित कुमार कोठारी,
सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गढ़वाल सम्भाग, पौड़ी

कार्यालयादेश

02 अगस्त, 2018 ई0

पत्रांक–1144/कर–पंजी/पंजीयन निरस्त/2018–19–वाहन सं0 UA12-0001(BUS) के वाहन स्वामी श्री राजेन्द्र प्रसाद भट्ट पुत्र श्री माया राम भट्ट, निवासी–ग्राम व पोस्ट–नौड़ी, जिला–पौड़ी गढ़वाल ने इस आशय का प्रार्थना–पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उनकी वाहन की आयु पूर्ण हो चुकी है एवं वाहन कट चुका है। जिस कारण संचालन योग्य नहीं रह गई है। अतः वाहन का पंजीयन निरस्त कर दिया जाये। वाहन स्वामी के अनुरोध पर वाहन का चेसिस छाप वाला हिस्सा नष्ट कर, कार्यालय में जमा करा लिया गया है। वाहन सं0 UA12-0001(BUS) का चेसिस सं0 412050GZZ11115352 तथा मॉडल 2000 है।

अतः, मैं, द्वारिका प्रसाद, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–55 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन सं0 UA12-0001(BUS) का चेसिस संख्या 412050GZZ11115352 का पंजीयन/चेसिस तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

02 अगस्त, 2018 ई0

पत्रांक–1145/कर–पंजी/पंजीयन निरस्त/2018–19–वाहन सं0 UK12C-0350(LMV CAR) के वाहन स्वामी श्री कर्मवीर सिंह रावत पुत्र श्री लाता सिंह, ग्राम–कुश्यान, पो0ऑ0–दियूसा मटियाना, जिला–पौड़ी गढ़वाल ने इस आशय का प्रार्थना–पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है एवं वाहन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है एवं वाहन कट चुका है। जिस कारण संचालन योग्य नहीं रह गया है। अतः वाहन का पंजीयन निरस्त कर दिया जाये। वाहन स्वामी के अनुरोध पर वाहन का चेसिस छाप वाला हिस्सा नष्ट कर, कार्यालय में जमा करा लिया गया है। वाहन सं0 UK12C-0350(LMV CAR) का चेसिस सं0 MA3EHKD1S00588529 तथा मॉडल 2014 है।

अतः, मैं, द्वारिका प्रसाद, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–55 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन सं0 UK12C-0350(LMV CAR) का चेसिस संख्या MA3EHKD1S00588529 का पंजीयन/चेसिस तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

द्वारिका प्रसाद,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
गढ़वाल सम्भाग, पौड़ी।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग

आदेश

06 अगस्त, 2018 ई0

संख्या–584/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2018–मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आरएस0 पार्ट–3, दिनांक 18.08.2015, सन्दर्भ संख्या 05/2014/ सी0ओ0आर0एस0–पार्ट–3, दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर, वाहन चालकों के लाइसेंस के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है।

अतः, दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेन्सिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के रूप में, मैं, मोहित कुमार कोठारी, वाहन अधिनियम 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ:–

क्र0 सं0	चालक का नाम व पता	डी0एल0 संख्या व वैधता	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1.	श्री सुशील नेगी पुत्र श्री दशरथ सिंह, ग्राम नगरासू, पो0 घोलतीर, जनपद रूद्रप्रयाग	**UK-1320160010167**, VALIDITY (NT)— 01.08.2036	ओवरलोड सवारी (यात्री वाहन)	S.P., CHAMOLI	06.08.2018 से 05.11.2018
2.	श्री मनोज पुत्र श्री लोली लाल, ग्राम रयाढ़ी फुटगढ़, जनपद रूद्रप्रयाग	**UK-1320110001344**, VALIDITY (NT)— 13.11.2031, VALIDITY (T)— 27.04.2020	ओवरलोड सवारी (भार वाहन)	S.P., TEHRI GARHWAL	06.08.2018 से 05.11.2018

मोहित कुमार कोठारी,
सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून

कार्यालयादेश

31 अगस्त, 2018 ई0

संख्या 3827/टी0आर0/पंजी0 निरस्त/2017–वाहन संख्या UA07F 2129, चेसिस संख्या 2ABA32F16138, इंजन सं0 AB34F60750, के स्वामी श्री Jaiveer Ali पुत्र श्री KhaliR Ahmed निवासी 12 Vill. Mehuwala mafi, D. Dun द्वारा उनके वाहन की आयु सीमा समाप्त होने के कारण, संचालन योग्य न होने के कारण, इस कार्यालय में वाहन के पंजीयन निरस्तीकरण हेतु आवेदन किया गया है। वाहन का एकबारीय कर जमा है। वाहन स्वामी द्वारा वाहन के चेसिस का टुकड़ा कार्यालय में जमा करा दिया गया है।

अतः वाहन स्वामी के आवेदन पर पंजीयन प्राधिकारी के रूप में, मैं अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–55 की उपधारा–2 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UA07F 2129, इंजन नं0 AB34F60750 का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

31 अगस्त, 2018 ई0

संख्या 3829/टी0आर0/पंजी0 निरस्त/2017–वाहन संख्या UK07TA 2692, चेसिस संख्या MD6M12LK1A-4A 4296, इंजन सं0 O1C2N91015021, के स्वामी श्री बाल चन्द्र गंदवाल पुत्र श्री दिलवर सिंह, निवासी वेनी विहार, रायपुर, दे0दून द्वारा उनके वाहन के आयु सीमा समाप्त होने के कारण, संचालन योग्य न होने के कारण, इस कार्यालय में वाहन के पंजीयन निरस्तीकरण हेतु आवेदन किया गया है। वाहन का एकबारीय कर जमा है। वाहन स्वामी द्वारा वाहन के चेसिस का टुकड़ा कार्यालय में जमा करा दिया गया है।

अतः वाहन स्वामी के आवेदन पर पंजीयन प्राधिकारी के रूप में, मैं अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–55 की उपधारा–2 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK07TA 2692, इंजन नं0 O1C2N91015021 का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

30 अगस्त, 2018 ई0

संख्या 3830/टी0आर0/पंजी0 निरस्त/2017–वाहन संख्या UGY 9995, चेसिस संख्या 344073853215, इंजन सं0 69D01869937, के स्वामी श्री राजेश्वरी थपलियाल पुत्र श्री अनुप कुमार थपलियाल, निवासी 585, डाकरा बजार, दे0दून द्वारा उनके वाहन की आयु सीमा समाप्त होने के कारण, संचालन योग्य न होने के कारण, इस कार्यालय में वाहन के पंजीयन निरस्तीकरण हेतु आवेदन किया गया है। वाहन का एकबारीय कर जमा है। वाहन स्वामी द्वारा वाहन के चेसिस का टुकड़ा कार्यालय में जमा करा दिया गया है।

अतः वाहन स्वामी के आवेदन पर पंजीयन प्राधिकारी के रूप में, मैं अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–55 की उपधारा–2 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UGY 9995, इंजन नं0 69D01869937 का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

31 अगस्त, 2018 ई0

संख्या 3831/टी0आर0/पंजी0 निरस्त/2017–वाहन संख्या UA0745413, चेसिस संख्या AAD873005, इंजन सं0 6EPAD066393, के स्वामी Sri Bhaktawer Singh पुत्र Sri Maya Singh, निवासी 68, Gandhi Road, D. Dun द्वारा उनके वाहन की आयु सीमा पूर्ण होने के कारण, संचालन योग्य न होने के कारण, इस कार्यालय में वाहन के पंजीयन निरस्तीकरण हेतु आवेदन किया गया है। वाहन का एकबारीय कर जमा है। वाहन स्वामी द्वारा वाहन के चेसिस का टुकड़ा कार्यालय में जमा करा दिया गया है।

अतः वाहन स्वामी के आवेदन पर पंजीयन प्राधिकारी के रूप में, मैं अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–55 की उपधारा–2 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UA0745413, इंजन नं0 6EPAD066393 का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

01 सितम्बर, 2018 ई0

संख्या 3843/टी0आर0/पंजी0 निरस्त/2017–वाहन संख्या UK07TA 3033, Maxi, चेसिस संख्या MAT44604599N29-474, इंजन सं0 4975PTC42NQ7636249, के स्वामी श्रीमती सरीता देवी पुत्र श्री हरीश सिंह, निवासी H-291, नेहरू कॉलोनी, देहरादून द्वारा उनके वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण, संचालन योग्य न होने के कारण, इस कार्यालय में वाहन के पंजीयन निरस्तीकरण हेतु आवेदन किया गया है। वाहन का एकबारीय कर जमा है। वाहन स्वामी द्वारा वाहन के चेसिस का टुकड़ा कार्यालय में जमा करा दिया गया है।

अतः वाहन स्वामी के आवेदन पर पंजीयन प्राधिकारी के रूप में, मैं अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–55 की उपधारा–2 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK07TA 3033, इंजन नं0 4975PTC42NQ7636249 का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

पंजीयन प्राधिकारी,
मोटर यान विभाग,
देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 39 हिन्दी गजट/508–भाग 1–क–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 सितम्बर, 2018 ई0 (आश्विन 07, 1940 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

हाईस्कूल प्रमाणपत्र में मेरा नाम गलती से प्रमोद कुमार अंकित है जबकि सही नाम प्रमोद कुमार सिंह पुत्र सियाराम सिंह हैं। इसी नाम से जाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

प्रमोद कुमार सिंह पुत्र सियाराम सिंह
निवासी राजकीय प्रेस कालोनी
टाइप IV, आवास संख्या 2 रामनगर
रूडकी, जिला हरिद्वार

कार्यालय नगर पंचायत, पीपलकोटी, चमोली

05 मार्च, 2018 ई0

संख्या 19/न0ठो0अप0प्र0पॉ0/प्ला0उपविधि/2017–18–नगर पंचायत, पीपलकोटी, जनपद चमोली सीमान्तर्गत नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298, उपधारा–2, खण्ड–(झ)(घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2000 के क्रियान्वयन हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2017 बनाई जाती हैं। जनसामान्य सूचना की आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है। कोई भी व्यक्ति उपविधि के सम्बन्ध में नियत अवधि, प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर नगर पंचायत कार्यालय, पीपलकोटी, चमोली में आपत्ति एवं सुझाव लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते है। नियत अवधि के बाद उपविधि को अन्तिम रूप दिया जायेगा, जिसे उत्तराखण्ड प्रदेश गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पॉलीथिन/प्लास्टिक उपविधि, 2017

संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भः–

1. यह उपविधि नगर पंचायत, पीपलकोटी, जनपद चमोली की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2017 कहलायेगी।
2. यह उपविधि नगर पंचायत, पीपलकोटी, जनपद चमोली के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी।
3. यह उपविधि उत्तराखण्ड सरकार के सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

परिभाषाएँः–

(I) "नगरीय ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप में नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता हैं।

(II) "उपविधि" से तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन बनाई गई कोई उपविधि से है।

(III) "नगर पंचायत" से तात्पर्य, संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगर पंचायत से है।

(IV) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड पालिका केन्द्रीयता सेवा नियमावली, 1966 के अधीन नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है।

(V) "सफाई निरीक्षक" से तात्पर्य, नगर पंचायत, पीपलकोटी, में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगरपालिका के उस अधिकारी/कर्मचारी से है, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो।

(VI) "निरीक्षण अधिकारी" का तात्पर्य, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से हैं, जिन्हें समय–समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया हो।

(VII) "नियम" से तात्पर्य, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या–648 नई दिल्ली, मंगलवार 03 अक्टूबर, 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2000 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम 200 बनाये गये, से है।

(VIII) "अधिनियम" से तात्पर्य, उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड नगरपालिका अधिनियम, से है।

(IX) "जीव नाशित/जैव निम्नीकरण/जैविक अपशिष्ट (Biodegradable waste)" से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से, जिसका सुक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है। जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी एवं फल के छिलके, फूल–पौधों के पत्ते आदि।

(X) "जीव अनाशित अपशिष्ट (Non-Biodegradable Waste)" का तात्पर्य, ऐसे कूड़ा–कचरा सामग्री से है, जो जीव नाशित कूड़ा–कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लॉस्टिक भी है।

(XI) पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट (Recyclable Waste) से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से, जो दो बार किसी भी प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तित उसका दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, जैसे–प्लॉस्टिक, पॉलिथीन, कागज, धातु, रबड़ आदि।

(XII) "जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (Biomedical Waste)" से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जिसका जनन मानवों व पशुओं के रोग निदान, उपचार या प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उनसे सम्बन्धित किसी अनुसंधान, क्रिया–कलापों या जैविकों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो।

(XIII) "संग्रहण (Collection)" से तात्पर्य, अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है।

(XIV) "कचरा खाद बनाने (Composting)" से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया से है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है।

(XV) "ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट (Demolition and Construction Waste)" से सन्निर्माण, पुनः निर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट से है।

(XVI) "व्ययन (Disposal)" से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणवत्ता को प्रदूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन, अभिप्रेत है।

(XVII) "भूमिकरण (Landfilling)" से भूजल, सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृन्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपक्रमों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमिभरण पर निपटान, अभिप्रेत है।

(XVIII) "निक्षालितक (Leachate)" से वह द्रव्य अभिप्रेत है, जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से घुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्ष किया है।

(XIX) "नगरपालिका प्राधिकारी (Municipal Authority)" में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद्, जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति (एन0ए0सी0) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्ध और हथालन, ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।

(XX) "स्थानीय प्राधिकारी (Local Authority)" का तात्पर्य, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत से है।

(XXI) "नगरीय ठोस अपशिष्ट (Municipal Solid Waste)" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(XXII) "सुविधा के परिचालक (Operator of a Facility)" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है, जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन और हथालन के लिए नगर पंचायत प्राधिकारी द्वारा इस रूप से नियुक्त किया गया है। "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है।

(XXIII) "पुनःचक्रण (Recycling)" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता है। जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।

(XXIV) "पृथक्करण (Segregation)" से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनःचक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्ग में अलग–अलग करना अभिप्रेत है।

(XXV) "भण्डारण (Storage)" से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बों में बन्द किया जाना अभिप्रेत है, जिससे कूड़ा–करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके।

(XXVI) "परिवहन (Transportation)" से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा–करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुँच से रोका जा सके।

4. कोई भी व्यक्ति/स्थापन (Establishment), नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, नाली, फुटपाथ, किसी खाली स्थान पर, जो नगर पंचायत/नगरपालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेंगे और न डलवायेंगे।

5. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन व्यक्ति/स्थापन, अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिनमें से वह एक में जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनःचक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा।

6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 65 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनःचक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगर पंचायत/नगरपालिका के द्वारा निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार नगर पंचायत/नगरपालिका के कर्मचारी सुविधा के प्रचालक (Operator of a Facility) को देना होगा किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाल सकेगा, जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरों, जो समय–समय पर संशोधित करी जा सकेगी, के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (User charges) लिए जायेंगे।

7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगर पंचायत/नगरपालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) भुगतान करना होगा।

8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन व्यक्ति/स्थापन, द्वारा जहाँ तक सम्भव हो, बागवानी व सभी पेड़–पौधों के कूड़े को परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहाँ ऐसा सम्भव न हो, नगर पंचायत/नगरपालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) भुगतान करना होगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।

9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को अलग से जमा करना होगा और 15 दिन में एक बार द्वार–द्वार संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा के परिचालक को देना होगा।

10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन, जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन, जीव–चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन और हस्तन) नियम, 1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव–चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।

11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला, व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्टों को न जलायेगा और न ही जलवायेगा।

12. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार, अधिकारी को होगा।

13. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर, यदि तत्काल ही नगरीय ठोस अपशिष्ट को उठाने की आवश्यकता समझी जाती है, तो अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा, नगर पंचायत/नगरपालिका सुविधा प्रचालक द्वारा इसे तत्काल उठवा सकेगा और उसके लिए स्थल पर मासिक यूजर चार्जेस के अतिरिक्त यूजर चार्जेस वसूल किया जा सकेगा। जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी, वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में नगर पंचायत/नगरपालिका सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।

14. अनुसूची में दी प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना ₹ 5.00 के पूर्णांक में की जायेगी।

15. उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेस/सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा।

अनुसूची–1

सेवा शुल्क (User charges)

क्र0 सं0	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/ अपशिष्ट के प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (User Charges) की प्रस्तावित राशि ₹ में
1	2	3
1.	समस्त आवासीय घर	₹ 20.00 प्रतिमाह
2.	सब्जी एवं फल विक्रेता	ठेली पर फेरी में ₹ 5.00 प्रतिदिन दुकान/फड पर ₹ 25.00 प्रतिमाह
3.	रेस्टोरेन्ट	न्यूनतम ₹ 50.00 प्रतिमाह
4.	होटल/गेस्ट हाउस	20 बेड तक ₹ 75.00 प्रतिमाह, 21 बेड से ऊपर ₹ 100.00 प्रतिमाह
5.	लॉजिंग	₹ 50.00 प्रतिमाह
6.	आश्रम/अखाड़ा	20 बेड तक ₹ 100.00, 20 बेड से ऊपर ₹ 200.00 प्रतिमाह
7.	धर्मशाला	10 कमरों तक ₹ 100.00 प्रतिमाह, 10 कमरों से ऊपर ₹ 200.00 प्रतिमाह, इसके अतिरिक्त विवाह/उत्सव आयोजन पर ₹ 300.00 प्रतिदिन अतिरिक्त
8.	बरातघर	₹ 300.00 प्रतिमाह
9.	बेकरी	₹ 50.00 प्रतिमाह

1	2	3
10.	कार्यालय	₹ 200.00 प्रतिमाह
11.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ (आवासीय)	₹ 200.00 प्रतिमाह
12.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ (अनावासीय)	₹ 100.00 प्रतिमाह
13.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बॉयो मेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	20 बेड तक ₹ 300.00 प्रतिमाह, 20 बेड से ऊपर ₹ 500.00 प्रतिमाह
14.	क्लीनिक (मेडिकल)	₹ 30.00 प्रतिमाह
15.	दुकान	₹ 30.00 प्रतिमाह
16.	फैक्ट्री	₹ 500.00 प्रतिमाह
17.	वर्कशॉप/कबाड़ी	₹ 300.00 प्रतिमाह
18.	गन्ने का रस/जूस विक्रेता	₹ 25.00 प्रतिमाह
19.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन, जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न हो	₹ 1,000.00 प्रतिदिन
20.	ढहान/निर्माण सम्बन्धित अपशिष्ट	100 वर्ग फीट तक ₹ 20.00 प्रतिदिन एवं 10 वर्ग फीट से अधिक ₹ 05.00 प्रतिवर्ग अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

नोटः–

1. कूड़ा न देने पर प्रतिमाह प्रस्तावित शुल्क का 10 गुना।
2. User charges न देने पर 10 गुना अर्थदण्ड।

अपशिष्टों के प्रकार

जैविक (Biodegradable) अपशिष्ट	पुनः चक्रणीय (Recyclable) अपशिष्ट	घरेलू परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्ट
1	2	3
हर प्रकार का पका, बिना पका हुआ अपशिष्ट	कागज तथा हर प्रकार का प्लास्टिक	एरोसोल कैन
सब्जी एवं फलों के छिलके, फूल एवं घरेलू पौधों का कूड़ा	कार्ड बोर्ड तथा कार्टन	बटन, सैल, प्लैसाईट/बैटरी
घरेलू झाड़ू से निकली गन्दगी	हर प्रकार की पैकिंग	ब्लॉच, घरेलू रसोई तथा नाला सफाई का सामान
सेनिटरी टॉवल	हर प्रकार के डिब्बे (परिसंकटमय को छोड़कर)	ऑयल फिल्टर तथा कार सुरक्षा के उत्पाद
बच्चों के डायपर	हर प्रकार का कांच/धातु/रबड़/लकड़ी	रसायन तथा उनके खाली डिब्बे, सौन्दर्य तथा उसके खाली डिब्बे

1	2	3
	फाइल, पुडिया, टेटॉपैक, कैसेट, कम्प्यूटर, डिस्केट, इलेक्ट्रानिक, पुर्जे, खराब कपड़े, फर्नीचर आदि	इन्जेक्शन सुई तथा सिरौज, खराब दवाईया, कीटनाशक तथा उनके डिब्बे
		लाइट बल्ब, ट्यूब लाइट तथा छोटे प्लासेन्ट बल्ब, थर्मामीटर एवं अन्य पारे वाले उत्पाद
		पेन्ट, तेल, गोंद, थीनर तथा उनके डिब्बे, फोटोग्राफी के रसायन

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लेखन नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–299(1) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2011 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो ₹ 5,000.00 तक हो सकेगा।

पॉलीथिन उपविधि

05 मार्च, 2018 ई0

सं0 12/उपनियमावली/पॉलीथिन/2017–18–नगरपालिका अधिनियम, 1916 (यथासंशोधित) की धारा 298(1)(एक) की सूची–01 शीर्षक ज के खण्ड ज(ड) के अधीन अपनी सीमान्तर्गत नगर को स्वच्छ बनाये रखने, मानव जीवन तथा पशु जीवन पर्यावरण तथा प्रदूषण की रक्षा लोक सुरक्षा या सुविधा में अभिवृद्धि की दृष्टि में पॉलीथिन/कैरी बैग या इसी प्रकार की अन्य पॉलीथिन सामग्री, जिससे गन्दगी होने की सम्भावना हो, को नियन्त्रित व प्रतिबन्धित करने हेतु उपविधि की प्रस्तावना की गई है। जो समस्त प्रभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ एवं आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किए जाने के उद्देश्य से प्रकाशित किया जाना है। निर्धारित समय अन्तर्गत कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त न होने पर तैयार उपविधि उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

उपविधि

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना :

(1) यह उपविधि नगर पंचायत, पीपलकोटी, चमोली **पॉलीथिन कैरी बैग नियन्त्रण उपविधि, 2017** कहलायेगी।

(2) यह नगर पंचायत, पीपलकोटी की सीमान्तर्गत प्रवृत्त होगी।

(3) यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

2. परिभाषाएँ :

(1) जब तक इस विषय का प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में:–

(क) एक्ट का तात्पर्य, उत्तराखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 1916 (यथासंशोधित) से है।

(ख) नगर पंचायत का तात्पर्य, नगर पंचायत, पीपलकोटी से है।

(ग) नगर पंचायत सीमा का तात्पर्य, उस सीमा क्षेत्र से है, जो कि शासकीय गजट में अधिसूचित किया गया है, में प्रकाशित सीमाओं से है।

(घ) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य, नगर पंचायत, पीपलकोटी के अधिशासी अधिकारी से है।

(ङ) सफाई–निरीक्षक का तात्पर्य, नगर पंचायत, पीपलकोटी के सफाई एवं खाद्य निरीक्षक से है।

(च) अध्यक्ष का तात्पर्य, उस व्यक्ति से है, जो नगर पंचायत, पीपलकोटी बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है।

(छ) नगर पंचायत बोर्ड का तात्पर्य, नगर पंचायत, पीपलकोटी के निर्वाचित सदस्यों की कमेटी तथा ऐसी कमेटी के भंग हो जाने की स्थिति में प्रशासन या उनके द्वारा प्रतिनिर्धारित व्यक्ति से हों।

प्रतिषेध :

3. कोई व्यक्ति व्यवसायी या दुकानदार, नगर पंचायत सीमान्तर्गत किसी प्रकार से पॉलीथिन/कैरीबैग का भण्डारण, उत्पादन, बिक्री व परिवहन नहीं करेगा, न ही बिक्री हेतु लायेगा।

4. नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति/व्यवसाय या दुकानदार किसी भी प्रकार का पॉलीथिन, कैरी बैग या अन्य प्रकार की ऐसी कोई पॉलीथिन क्रय/विक्रय नहीं करेगा और ना ही बेचने की चेष्टा करेगा, जिससे पर्यावरण को क्षति हो, प्रदूषण पैदा हो तथा नगर में गन्दगी होने की सम्भावना हों।

5. नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगत स्थान/सार्वजनिक स्थान, जैसे नदी/भूमि/नाली/मकान/आंगन/बगीचा/शौचालय/मूत्रालय/दुकान के आगे–पीछे पॉलीथिन कैरी बैग, अनुप्रयोगी प्लॉस्टिक के डिब्बे, चाय पत्ती के खाली रैपर/गुटखों के खाली रैपर जैसी अनुपयोगी वस्तुओं को नहीं रखेगा/फेंकेगा, जिससे पर्यावरण को क्षति हो, प्रदूषण उत्पन्न हो, मानव जीवन, पशु जीवन के लिए घातक हो, जिससे गन्दगी होने की सम्भावना हो।

6. नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत आने वाली सामान की पैकिंग पर आने वाला पॉलीथिन/गत्ता/चिल्ला, जो भी हो क्रेता/विक्रेता अपने घर/दुकान में एक बर्तन में एकत्रित कर रखेगा तथा नगर पंचायत में सफाई कर्मी को उनकी ड्यूटी के दौरान उनके सुपुर्द करेगा, जिससे ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन व हथालन) नियम, 2000 के अनुसार नगर पंचायत द्वारा निस्तारित किया जायेगा।

7. सीमेंट के खाली बैग जो पॉलीपैक में आते हैं। जैसे रबर का चिल्ला, चाय पत्ती की थैली, रैपर्स, टैटापैक, पराग दूध या इसी प्रकार दूध के अन्य रैपर्स, बिस्कूट पैकेट के पॉलीपैक रैपर्स/खाली डिब्बे, विभिन्न प्रकार के तम्बाकू/गुटकों आदि समस्त प्रकार के प्लॉस्टिक पैक, रैपर्स जो अनुपयोगी हो जाते है, को ऐसे सामान का क्रेता/विक्रेता/मालिक या तो अपनी सुरक्षा में रखेगा या अपने घर/दुकान में एक बर्तन में एकत्र कर रखेगा, जिससे सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा पंचायत के सफाई कर्मचारी को उनकी ड्यूटी के समय दिया जायेगा, जिसमें पंचायत द्वारा उपनियम–6 में उल्लिखित विधि से निस्तारित किया जायेगा।

8. नगर पंचायत सीमान्तर्गत प्रवेश/गुजरने वाले कोई भी वाहन चालक/यात्री नगर की सीमा में पॉलीथिन की थैली/कैरी बैग/पैकेट/डिब्बे/रैपर्स, जो कि पॉलीथिन की श्रेणी में हो, जिससे गन्दगी होने की सम्भावना हो, नगर पंचायतों की सड़कों/गलियों या खुले स्थान/सार्वजनिक स्थान में नहीं फेकेगा। बल्कि नगर पंचायत के कूड़ेदान में ही डालेगा।

9. नगर पंचायत सीमान्तर्गत जिस किसी व्यक्ति/व्यक्तियों, भवन स्वामियों/किराएदारों/कुलियों/मजदूरों के अगल–बगल, जिसके सीमान्तर्गत ऐसे पॉलीथिन/कैरी बैग या अन्य प्रकार का पॉलीपैक, जैसे पराग दूध के अनुपयोगी या इसी प्रकार के अन्य अनुपयोगी पॉलीपैक सामग्री, जिससे गन्दगी उत्पन्न हो और होने की सम्भावना हो, यह दण्डनीय अपराध के अन्तर्गत माना जायेगा।

शक्ति

1. जो कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों/व्यवसाय/दुकानदार या कम्पनियों द्वारा इस उपविधि के किसी अंश या उसके तहत जारी आदेश का उल्लंघन करता है तो वह ₹ 5,000.00 का जुर्माना अथवा एक माह के कारावास अथवा दोनों से दण्डनीय होगा और उल्लंघन निरन्तर जारी रहता है तो वह ₹ 100.00 प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त दण्डनीय होगा।

2. जो कोई भी व्यक्ति/व्यवसाय/दुकानदार इस उपविधि के अधीन किसी भी रीति से अपराध करने या अपराध में सहायता दुष्प्रेरण करता है या अपराध करता है व दोष सिद्ध होने पर अपराध के लिए चिन्हित कारावास से दण्डित किया जायेगा।

3. नगर पंचायत, पीपलकोटी के अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत नगर पंचायत के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी का अधिकार होगा कि वह इस प्रकार से अपराधों के लिए तात्कालिक रूप से ₹ 500.00 विक्रेता से तथा क्रेता से ₹ 100.00 का अर्थदण्ड ले सकता है।

व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क उपनियम

05 मार्च, 2018 ई0

संख्या 20/लाइसेन्स/शुल्क/उपनियम/2017--18—नगर पंचायत, पीपलकोटी, चमोली, जनपद चमोली सीमान्तर्गत लाइसेन्स शुल्क उपनियमावली लागू करने के लिए जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला है। उन व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है। नियत अवधि प्रकाशन की तिथि से 30 दिन बाद उपविधि को अन्तिम रूप दिया जायेगा, जिससे उत्तराखण्ड प्रदेश गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

अनुसूची

भाग 8) उत्तराखण्ड गजट, 01 जून, 2016 ई0 (ज्येष्ठ 28, 1938 शक सम्वत्त)

क्र0 सं0	व्यवसाय विवरण	दर
1	2	3
1.	(क) होटल खान–पान	₹ 500.00
	(ख) होटल ढाबा	₹ 300.00
2.	रेस्टोरेंट :	
	(क) लॉज 01 से 10 बेड तक	₹ 500.00
	(ख) लॉज 01 से 20 बेड तक	₹ 1,000.00
	(ग) लॉज 01 से 40 बेड तक	₹ 2,000.00
3.	मिष्ठान भण्डार :	
	(क) चाय विक्रेता	₹ 200.00
	(ख) चाय, नमकीन विक्रेता	₹ 300.00
	(ग) चाय, मिष्ठान विक्रेता	₹ 500.00
4.	राशन विक्रेता :	
	(क) राशन विक्रेता/जनरल स्टोर	₹ 500.00
	(ख) सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान	₹ 500.00
5.	कपड़ा विक्रेता :	
	(क) क्लॉथ इम्पोरियम	₹ 500.00
	(ख) रेडिमेट जनरल स्टोर	₹ 500.00
	(ग) कपड़ा विक्रेता, बर्तन एवं अन्य सामग्री विक्रेता	₹ 800.00
6.	बर्तन विक्रेता	₹ 500.00
7.	इलेक्ट्रानिक सम्बन्धी विक्रेता :	₹ 500.00
	(क) टी0वी0, फ्रीज, वाशिंग मशीन, गीजर आदि विक्रेता मरम्मतकर्ता	₹ 1,000.00
	(ख) मोबाइल आदि विक्रेता	₹ 500.00
	(ग) विद्युत सामग्री विक्रेता	₹ 500.00
	(घ) रेडियो घड़ी विक्रेता/मरम्मतकर्ता	₹ 300.00

1	2	3
8.	कम्प्यूटर :	
	(क) कम्प्यूटर सेंटर	₹ 900.00
	(ख) कम्प्यूटर मरम्मतकर्ता	₹ 900.00
9.	हार्डवेयर :	
	(क) सीमेंट, सरिया विक्रेता	₹ 500.00
	(ख) सीमेंट, सरिया, ईंट, रेत, पेन्ट विक्रेता	₹ 900.00
10.	ग्रील एवं बक्सा निर्माता/विक्रेता	₹ 1,000.00
11.	फर्नीचर :	
	(क) फर्नीचर हाउस	₹ 1,000.00
	(ख) शोरूम फर्नीचर हाउस	₹ 1,500.00
12.	शूज विक्रेता	₹ 500.00
13.	सब्जी :	
	(क) सब्जी विक्रेता	₹ 500.00
	(ख) सब्जी, फल विक्रेता	₹ 800.00
14.	स्वर्णकार :	
	(क) मालिक बिना कारीगर	₹ 900.00
	(ख) मालिक एवं 03 कारीगर सहित	₹ 1,800.00
	(ग) मालिक एवं 05 कारीगर सहित	₹ 2,700.00
15.	टेलर्स :	
	(क) स्वयं टेलर्स	₹ 300.00
	(ख) स्वयं के साथ 03 कर्मी सहित	₹ 400.00
	(ग) स्वयं के साथ 05 कर्मी सहित	₹ 800.00
16.	बारबर :	
	(क) स्वयं बारबर	₹ 300.00
	(ख) स्वयं एवं 02 कर्मी सहित	₹ 500.00
	(ग) स्वयं एवं 03 कर्मी सहित	₹ 800.00
17.	पुस्तक विक्रेता	₹ 300.00
18.	पुस्तक विक्रेता एवं फोटो स्टेट	₹ 400.00
19.	मेडिकल स्टोर में क्लीनिक	₹ 500.00
20.	सुअर मीट विक्रेता	₹ 500.00
21.	बकरा एवं मुर्गा मीट विक्रेता	₹ 1,000.00
22.	स्कूटर गैराज व मरम्मतकर्ता	₹ 400.00
23.	मोटर गैराज मरम्मतकर्ता	₹ 1,000.00

1	2	3
24.	मोटर विक्रेता एवं शोरूम	₹ 5,000.00
25.	स्कूटर विक्रेता एवं शोरूम	₹ 5,000.00
26.	कुकिंग एजेन्सी	₹ 2,500.00
27.	पेट्रोल पम्प एजेन्सी	₹ 3,000.00
28.	बैंक व्यवसाय लाइसेन्स	₹ 3,000.00
29.	अंग्रेजी शराब की दुकान	₹ 30,000.00
30.	कबाड़ एकत्रित करने वाले एवं भण्डारण	₹ 500.00
31.	अन्य व्यवसाय	₹ 1,000.00
32.	जूस विक्रेता	₹ 500.00
33.	मोबाइल टॉवर	₹ 3,000.00
34.	केबिल नेटवर्क सेन्टर	₹ 5,000.00
35.	ट्यूशन/प्रशिक्षण सेन्टर	₹ 900.00
36.	पान, बीड़ी आदि विक्रेता	₹ 200.00
37.	छोटे दुकान (परचून)	₹ 300.00
38.	आटा चक्की	₹ 300.00
39.	फोटोग्राफर	₹ 500.00
40.	ब्यूटी पार्लर/श्रृंगार सामान सहित	₹ 800.00
41.	ऊन/होजरी विक्रेता	₹ 600.00
42.	टायर पंचर	₹ 200.00
43.	टेन्ट हाउस	₹ 1,000.00

शक्ति

उत्तर प्रदेश नोटिफाइड एरिया, उत्तर प्रदेश नगरपालिका एक्ट, 1916 की धारा 301 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगर पंचायत, पीपलकोटी यह आदेश देती है कि उपरोक्त उपविधि में से एक भी उपविधि का उल्लंघन करने पर ऐसे उल्लंघनकर्ता न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर ₹ 1,000 तक का अर्थदण्ड लिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध होने के कारण, पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए उल्लंघन जारी हो, ₹ 100 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता है और जुर्माना अदा न करने पर 06 माह का साधारण कारावास दण्ड दिया जा सकता है।

05 मार्च, 2018 ई0

संख्या 18/विज्ञा0/शुल्क/उपनियम/2017–18–नगर पंचायत, पीपलकोटी, चमोली, जनपद चमोली सीमान्तर्गत विज्ञापन शुल्क उपनियमावली लागू करने के लिए जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला है। उन व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है। नियत अवधि प्रकाशन की तिथि से 30 दिन बाद उपविधि को अन्तिम रूप दिया जायेगा, जिससे उत्तराखण्ड प्रदेश गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

विज्ञापन शुल्क उपनियम–2017

1. यह उपनियम नगर पंचायत, पीपलकोटी, चमोली, जनपद चमोली में अश्लील तथा फिल्म या पोस्टरों आदि के प्रदर्शन पर नियन्त्रण नियमावली, 2017 कहलायेगी।

2. इन नियमों में विज्ञापन का अर्थ किसी भी स्थान पर सार्वजनिक रूप से प्रिन्ट या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदर्शित किए गए सूचना पट्ट, पोस्टर, होर्डिंग, साइनबोर्ड दीवारों आदि पर पेन्ट में लिखे गए (बाल पेन्टिंग) या चौक से बनाये गये लिखे गये विज्ञापनों से है।

3. इमारत का तात्पर्य किसी भी प्रकार से बनाये गये ढाँचें से है। जो किसी भी मैटिरियल से बनाया गया हो।

4. कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत पीपलकोटी, जनपद चमोली की सीमा अन्तर्गत किसी स्थान पर इमारत के किसी भाग पर या ढाँचे पर विज्ञापनार्थ किसी प्रकार का विज्ञापन, सूचना पट्ट, पोस्टर, बैनर या होर्डिंग आदि बिना नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी/नगर पंचायत, पीपलकोटी, जनपद चमोली द्वारा नियुक्त पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति प्राप्त किए बगैर नहीं लगायेगा।

5. उपरोक्त उपनियम निम्नांकित लागू नहीं होगाः–

   (अ) ऐसे विज्ञापन, जो सरकारी अथवा राष्ट्रीय कार्यों हेतु स्थानीय विकास योजनाओं हेतु शासकीय प्रतिनिधि द्वारा प्रदर्शन हेतु लगाये गये हो।

   (ब) ऐसे विज्ञापन या साइन बोर्ड जो किसी स्थानीय व्यापारी/दुकानदार द्वारा अपनी दुकान या अपने निवास पर अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में लगाया गया हो।

   (स) इसके अतिरिक्त किसी विशेष परिस्थितियों में निःशुल्क विज्ञापन लगाने के लिए अधिशासी अधिकारी की लिखित अनुमति प्रदान करना आवश्यक होगा।

6. किसी भी विज्ञापन की अनुमति करने के लिए पत्र विज्ञापन की लिपिलेखा सहित दो प्रतियों के साथ नगर पंचायत पीपलकोटी, जनपद चमोली के कार्यालय में देना होगा ताकि अनुमति देते समय अधिशासी अधिकारी विज्ञापन की भाषा आदि की जाँच करने के पश्चात् सन्तुष्ट करेंगे की विज्ञापन में किसी प्रकार की अश्लीलता या आपत्तिजनक भाषा या किसी समूह कि भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली बातें या सामुदायिक विष फैलाने

वाली भाषा का प्रयोग तो नहीं किया गया हैं, इस प्रकार सन्तुष्ट हो जाने के बाद आवेदक को स्वीकृति प्रदान की जायेगी किन्तु अधिशासी अधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह जनहित में यदि आवश्यक समझे तो अनुमति दे या न दे अथवा किसी प्रतिबन्ध या शर्त के साथ अनुमति दे ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति अध्यक्ष/प्रशासक नगर पंचायत, पीपलकोटी, चमोली के सम्मुख एक सप्ताह के अन्दर अपनी याचिका प्रस्तुत कर सकता है। जिस पर अध्यक्ष/प्रशासक का निर्णय अन्तिम होगा।

7. नगर पंचायत, पीपलकोटी, चमोली अधिशासी अधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि उपविधि का उल्लंघन करके, यदि कोई विज्ञापन लगा दिया गया हो तो उसे हटा सकते हैं और इसे हटाने में हुए व्यय को विज्ञापन मालिक या एजेण्ट से वसूल कर सकते है, यदि कोई व्यक्ति व्यय शुल्क जमा न करे अथवा विज्ञापन हटाने के एक माह के अन्दर होर्डिंग वापस करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करता है तो विज्ञापन हटाने के एक माह बाद होर्डिंग एवं साइन बोर्ड नीलामी करवा सकते हैं।

8. उपनियम के परियोजनार्थ व्यक्ति, व्यक्तियों, कम्पनी या फर्म के मालिको, प्रबन्धकों, एजेण्टों या उनके कारिन्दों, जिनके द्वारा कोई इन उपनियम का उल्लंघन करते हुए लगाया या लगवाया गया हो, दोषी समझा जायेगा तथा दण्ड का भागी होगा।

इन उपनियमों में दी जाने वाली निर्गमन की अनुमति के लिए विज्ञापन शुल्क निम्न होगाः–

1.	6 फुट × 1 फुट से 6 फुट × 6 फुट तक के साइज के होर्डिंग/बोर्ड	200/– वार्षिक
2.	6 फुट × 6 फुट से 12 फुट × 12 फुट तक के साइज के होर्डिंग/बोर्ड	400/– वार्षिक
3.	12 फुट × 10 फुट से 20 फुट × 10 फुट तक के साइज कि होर्डिंग/बोर्ड	600/– वार्षिक
4.	12 फुट × 10 फुट से 40 फुट × 10 फुट तक के साइज के होर्डिंग/बोर्ड	1,500/– वार्षिक
5.	विज्ञापन का इलेक्ट्रॉनिक डिसप्ले 20 फुट × 20 फुट साइज	2,000/– वार्षिक
6.	दीवारों पर की जाने वाली पेन्टिंग विज्ञापन प्रतिवर्ग मीटर	₹ 20 प्रतिमाह
7.	बिजली/टेलीफोन के खम्बों पर 2 × 2 फुट होर्डिंग/बोर्ड प्रति पोल	₹ 10 प्रतिमाह
8.	बैनर–कपड़े का प्रति बैनर	₹ 10 प्रतिमाह
9.	लकड़ी/लोहे के पाइप से सार्वजनिक सड़क पर गेट प्रतिदिन बनाने/लगाने हेतु व्यापारिक दृष्टि से	₹ 250 प्रतिमाह
10.	अन्य विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड	₹ 200 प्रतिदिन
11.	बैलून/विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड	₹ 100 प्रतिदिन

9. विशेष परिस्थितियों में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, पीपलकोटी, चमोली का कतिपय मामलों में नगर पंचायत के अन्तर्गत विज्ञापन निःशुल्क प्रदर्शित कराये जाने का अधिकार होगा।

10. नगर पंचायत, पीपलकोटी, जनपद चमोली का बोर्ड उपरोक्त विज्ञापनों का वार्षिक ठेका भी करा सकता है। जिसके लिए फार्म/व्यक्ति/एजेण्डा से कोटेशन अथवा बोली ले सकती है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ठेका लेने वाले व्यक्ति/फार्म को उपरोक्त सभी शर्तों का पूर्ण पालन करना होगा, शर्त का उल्लंघन करने की दशा में ठेका निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर राशि/अग्रिम रूप में जमा धनराशि को जब्त किया जा सकता है।

11. नगर पंचायत, पीपलकोटी, जनपद चमोली के बोर्ड के पास उपरोक्त उपविधियों के अन्तर्गत प्रत्यक्ष परिस्थितियों के आधार पर शर्तों एवं नियमों के अनुसार ठेका निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

दण्ड

उपरोक्त उपविधियों का उल्लंघन करके यदि कोई फार्म/ठेकेदार/व्यक्ति द्वारा किसी पोस्टर/होर्डिंग अथवा उपरोक्त कोई भी विज्ञापन कहीं पर लगा दिया जाता है तो नगर पंचायत, पीपलकोटी, जनपद चमोली उक्त विज्ञापन को हटाने के साथ ही उससे विज्ञापन का किराया सहित प्रथम दण्ड के रूप से विज्ञापन किराए के 05 गुना आर्थिक दण्ड वसूल किया जायेगा, दूसरी बार उक्त अपराध उल्लंघन करने पर आर्थिक दण्ड के रूप में किराए की 10 गुना शुल्क भू–राजस्व की भाँति वसूल किया जायेगा।

ठेकेदारी उपनियम

09 मार्च, 2018 ई0

संख्या 25/ठेकेदारी उपविधि/प्रका/2017–18–नगर पंचायत पीपलकोटी अधिनियम, 1916 की धारा 298 (2) शीर्षक (ई) बी के अन्तर्गत दी गई शक्तियों के अधीन नगर पंचायत पीपलकोटी के निर्माण कार्यों के सम्पादन करने हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण एवं नियंत्रण के लिये पूर्व व्यवस्था को समाप्त करते हुये ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियंत्रण उपविधि बनायी गयी है। जो नगर पंचायत अधिनियम–'1916' की धारा 301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य अथवा जिन पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। उनसे आपत्तियों एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित की जा रही है। अतः समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत पीपलकोटी जनपद चमोली को प्रेषित की जा सकेगी, बादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

- परिभाषा :

1. यह उपविधि नगर पंचायत, पीपलकोटी जनपद चमोली के ठेकेदारों को नियंत्रित एवं पंजीकरण उपविधि, 2018 कहलायेगी तथा गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू समझी जायेगी।
2. पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत पीपलकोटी से है।
3. "अधिनियम" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् अधिनियम 1916 (यू0पी0म्यूनिसिपेलिटी एक्ट सं0–2, 1916 तथा संशोधित) जो कि वर्तमान में उत्तराखण्ड प्रदेश में भी लागू है–से है।
4. "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत पीपलकोटी के निर्वाचित अध्यक्ष एवं प्रकाशक से है।
5. "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत पीपलकोटी से है।
6. "पंजीकरण" का तात्पर्य नगर पंचायत पीपलकोटी द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के ठेकेदारों के पंजीकरण से है।
7. "ठेकेदार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो नगर पंचायत पीपलकोटी में सम्पूर्ण निर्माण कार्य जो संविदा के अन्तर्गत आते हो, का करने का इच्छुक है।
8. "श्रेणी" का तात्पर्य ठेकेदार की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी से है।

- पंजीकरण की प्रक्रिया :

पालिका परिषद् की सड़क/नाली एवं भवन के निर्माण कार्य के सम्पाद एवं सामग्री हेतु ठेकेदारों की तीन श्रेणियां होंगी। इच्छुक व्यक्ति प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी में निम्न औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपना पंजीकरण करा सकता है:–

1. वह भारत का नागरिक हो तथा नगर सीमा, जनपद या उत्तराखण्ड प्रदेश में कम से कम 5 वर्ष से निवास करता हो। इसके लिए आवश्यक प्रमाण–पत्र तथा दो पासपोर्ट साइज फोटो देना अनिवार्य होगा।
2. जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण–पत्र (श्रेणीवार हैसियत सीमा) निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:–

(क) प्रथम श्रेणी के लिए – 15.00 लाख

(ख) द्वितीय श्रेणी के लिए – 10.00 लाख

(ग) तृतीय श्रेणी के लिए – 2.00 लाख

3. प्रथम श्रेणी– प्रथम श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु लोक निर्माण विभाग, जल निगम, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, नगर पालिका एवं जिला पंचायत आदि विभागों में कम से कम सड़क/नाली एवं भवन निर्माण का 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में 1.00 करोड़ के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने अनिवार्य होंगे। इसके अतिरिक्त स्वयं की तकनीकी अभियन्ता एवं टी0एण्डपी0 मिक्सचर मशीन एवं बाईवरेटर आदि होने आवश्यक होंगे। अनुभव प्रमाण–पत्र, अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

4. द्वितीय श्रेणी– द्वितीय श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु उपरोक्त विभागों में कम से कम 3 वर्ष कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में 30.00 लाख के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण–पत्र अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

5. तृतीय श्रेणी– तृतीय श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार के किसी भी विभाग में कम से कम एक वर्ष का कार्य किया गया हो, का अनुभव प्रमाण–पत्र देना होगा।

6. चतुर्थ श्रेणी– चतुर्थ श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार के किसी भी विभाग तथा श्रेणी के ठेकेदार द्वारा जिसके साथ कम से कम एक वर्ष का कार्य किया गया हो, का अनुभव प्रमाण–पत्र देना होगा।

7. प्रत्येक ठेकेदार को आयकर व व्यापार पर विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण प्रार्थना–पत्र के साथ उक्त विभाग के पंजीकरण का प्रमाण–पत्र देना होगा तथा पंजीकरण नम्बर के अभिलेख की छायाप्रति देनी होगी।

8. पंजीकरण की अवधि :

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में माह 01 अप्रैल से 31 मई तक ठेकेदारों के पंजीकरण किये जा सकेंगे, तत्पश्चात् नही। पंजीकरण के निर्धारित प्रार्थना–पत्र के प्रारूप 200.00 पालिका कोष में जमा कर क्रय करना होगा तथा पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र निर्धारित प्रारूप पर मान्य होगा जो अवर अभियन्ता की आख्या पर अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष/प्रशासक द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। तत्पश्चात् ही पंजीकरण शुल्क एवं जमानत शुल्क जमा किया जायेगा।

9. पंजीकरण शुल्क/नवनीकरण शुल्क :

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क नगद रूप में पालिका कोष में जमा करना होगा:–

(अ) प्रथम श्रेणी के लिए – 5,000.00

(ब) द्वितीय श्रेणी के लिए – 3,000.00

(स) तृतीय श्रेणी के लिए – 2,000.00

प्रत्येक दो वर्ष बाद नवनीकरण करना होगा। नवनीकरण करते समय हैसियत प्रमाण–पत्र व चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं निम्न प्रकार शुल्क जमा करना होगाः–

(अ) प्रथम श्रेणी के लिए – 2500.00

(ब) द्वितीय श्रेणी के लिए – 1500.00

(स) तृतीय श्रेणी के लिए – 1000.00

10. जमानतें :

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार स्थायी जमानत राशि राष्ट्रीय बचत–पत्र के रूप में अधिशासी अधिकारी के पदनाम से बन्धक कर प्रार्थना–पत्र के साथ देना होगाः–

(अ) प्रथम श्रेणी के लिए – 10,000.00

(ब) द्वितीय श्रेणी के लिए – 5,000.00

(स) तृतीय श्रेणी के लिए – 5,000.00

11. निर्माण के संपादन की सीमा :

प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारों को निम्नानुसार कार्य के टेण्डर लेने का अधिकार होगाः–

(1) प्रथम श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार सभी प्रकार (असीमित धनराशि) के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

(2) द्वितीय श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार 5.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

(3) तृतीय श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार 2.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

12. नगर पंचायत पीपलकोटी में पंजीकरण ठेकेदार निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होगा :–

1. चरित्र प्रमाण–पत्र जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा।

2. पेन नम्बर,

3. GST NO,

4. हैसियत प्रमाण–पत्र जिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा प्राप्त,

5. अनुभव प्रमाण–पत्र किसी भी इंजीनियर विभाग से प्राप्त,

6. निकाय में भवन निर्माण एवं अन्य सिविल कार्य के लिए अलग–अलग पंजीकरण किया जायेगा।

13. निविदा प्रपत्र की लागत :

निविदा प्रपत्र का मूल्य निर्माण कार्य के व्यय अनुमान (आंगणन) धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगाः–

क्र0सं0	कार्य का लागत	निविदा मूल्य में
1.	1,00000.00 से 5,00000.00 तक	500.00
2.	5,00000.00 से 10,00,000.00 तक	1000.00
3.	10,00,000.00 से 20,00,000.00 तक	1500.00
4.	30,00,000.00 से 40,00,000.00 तक	2000.00
5.	40,00,000.00 से 50,00,000.00 तक	3000.00
6.	50,00,000.00 से 150,00,000.00	4000.00

14. निविदा स्वीकार करने का अधिकार :

ठेकेदार द्वारा डाली गई निविदाओं में न्यूनतम निविदाओं को स्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष का होगा परन्तु किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष/प्रशासन को होगा। इस दशा में पुनः निविदायें आमंत्रित की जा सकती हैं। निविदा डालने के 06 माह बाद तक ठेकेदार उन्हीं दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा।

15. धरोहर राशि :

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्यूरमेंट नियत)2008 में किये गये प्रावधान के अनुसार स्थायी/जमानत धरोहर धनराशि निविदा के साथ राष्ट्रीय बचत–पत्र किसान विकास–पत्र एवं एफ0डी0आर0 अधिशासी अधिकारी के नाम बन्धक होगा। ऐसी प्रतिभूति को पूर्व के कार्यों में जमा प्रतिभूति के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा, जब तक कि उन्हें अवमुक्त नहीं किया गया हो।

16. ठेकेदार का भुगतान :

कार्य समाप्ति के पश्चात् ठेकेदार को कार्य सन्तोषजनक होने पर नियमानुसार बिल की धनराशि से समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार आयकर, व्यापार कर एवं 10 प्रतिशत जमानत की राशि काटने के उपरान्त भुगतान किया जा सकेगा। जमानत राशि का भुगतान 01 वर्ष के बाद सन्तोषजनक होने पर अवर अभियन्ता की संस्तुति पर किया जा सकेगा।

17. कार्य पूर्ण करने की अवधि :

प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह टेण्डर फार्म में दी गई कार्य अवधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करे। यदि समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तथा उसकी कार्य अविध बढ़ाने हेतु ठेकेदार द्वारा समय समाप्ति से पूर्व औचित्य स्पष्ट करते हुए प्रार्थना–पत्र दिया गया हो, अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा कार्य अवधि बढ़ाने की स्वीकृति एक बार प्रदान की जा सकती है। यदि ऐसा न किया गया तो ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी अवधि के लिए अवेशष कार्य पर उत्तराखण्ड अधि प्राप्ति नियमावली, 2008 में निहित प्रावधानों के अनुसार 0.50 से 10% कटौती कर ली जायेगी। इसका उल्लेख अनुबन्धनामा में भी आवश्यक रूप से किया जायेगा।

18. पंजीकरण निरस्तीकरण :

यदि ठेकेदार निर्धारित तिथि तक कार्य प्रारम्भ नहीं करता है अथवा कार्य सन्तोषजनक गुणवत्ता के अनुसार स्वीकृत स्टीमेंट व साइट प्लॉन के अनुरूप नहीं करता है या कार्य को किसी को सबलेट करता है तो ऐसी स्थिति में अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जाँच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त कर, ऐसे ठेकेदार को काली सूची में ला सकता है। पंजीकरण के निरस्तीकरण के फलस्वरूप ठेकेदार का ठेका स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य का भुगतान पालिका को हुई हानि के समायोजन के पश्चात् किया जायेगा। इसका उल्लेख अनुबन्धनामा में भी किया जायेगा।

19. जमानत जब्त करने का अधिकार :

यदि ठेकेदार पालिका उपनियमों या ठेके की शर्तों, अनुबन्ध–पत्र का उल्लंघन कर पालिका को कोई हानि पहुँचाता है या उपविधि के नियम 13 के विपरीत कार्य करता है तो ऐसी दशा में अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जाँच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष को ठेकेदार की जमानत जब्त करने का अधिकार होगा। यदि इसके बाद भी पालिका की क्षतिपूर्ति न हो सके तो शेष राशि ठेकेदार की सम्पत्ति से भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूल की जायेगी। इसका उल्लेख अनुबन्धनामा में भी किया जायेगा।

टकांर कौशल,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, पीपलकोटी,
चमोली।

परमानन्द राम,
प्रशासक/उपजिलाधिकारी,
नगर पंचायत, पीपलकोटी,
चमोली।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 39 हिन्दी गजट/508–भाग 8–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।